उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–3
संख्या–1567/सत्तर–3–2021–16(26)/2011टी.सी.
लखनऊ : दिनांक :13 जुलाई, 2021

1. कुलसचिव
   समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
   उ0प्र0।
2. निदेशक,
   उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
   प्रयागराज।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 लागू किए जाने हेतु जारी शासनादेश दिनांक 20.04.2021 के संदर्भ में प्राप्त पृच्छाओं के सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गई सूची के अनुसार त्रिवर्षीय स्नातक (तीन विषय विकल्प आधारित) स्तर के 62 पाठ्यक्रम तैयार किये जा चुके हैं, जिन्हें ई–मेल द्वारा आपको उपलब्ध करा दिया गया है तथा उ0प्र0राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाईट (http://uphed.gov.in/Council/NEETI2021.aspx) पर अपलोड़ किया जा चुका है । स्नातक (शोध सहित) एवं परास्नातक विषयों के पाठयक्रमों की सूची एवं जानकारी कालान्तर में उपलब्ध करा दी जायेगी। यदि उ0प्र0राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाईट में वर्णित विषयों के अतिरिक्त आपके विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर कोई अन्य विषय संचालित है, तो उसका पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए तीन विषय विशेषज्ञों के नाम गूगल लिंक (https://forms.gle/vPP7c7Av2kUFGJiX9) पर एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराया जाय। यदि कोई विषय एक से अधिक विश्वविद्यालयों में चल रहा हो, तो वह भी सभी विश्वविद्यालयों में न्यूनतम समान पाठयक्रम के अनुरुप ही लागू होगा तथा उन विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए विशेषज्ञों को सम्मिलित करते हुए 'विषय विशेषज्ञ समूह' गठित किया जाएगा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप न्यूनतम समान पाठ्यक्रम तैयार करेंगें। स्नातक स्तर पर तृतीय वर्ष में संचालित मुख्य विषय के किसी पेपर का इलैक्टिव पेपर के रूप में अन्य पाठ्यकम (सिलेबस) का सुझाव विषय विशेषज्ञों से आमंत्रित है वे अपने सुझाव गूगल लिंक (https://forms.gle/vPP7c7Av2kUFGJiX9) पर दे सकते हैं।

2– शासनादेश संख्या 1065/सत्तर–3–2021–16 (26)/2011 दिनॉक 20–04–2021 के तारतम्य में शैक्षणिक सत्र 2021–22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु न्यूनतम समान पाठ्यक्रम एवं "च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम" (CBCS) पर आधारित सेमेस्टर सिस्टम के संबंध में प्राप्त पृच्छाओं के निराकरण हेतु निम्नवत् स्पष्ट किया जाता है:–

1. **न्यूनतम समान पाठ्यक्रम(Minimum Common Syllabus)**

1.1 विश्वविद्यालय न्यूनतम समान पाठ्यक्रम के रुप में उपलब्ध कराये गये पाठ्यक्रम में से कम से कम 70 प्रतिशत समान रखेंगे। उदाहरण के लिये यदि किसी पेपर हेतु तैयार किए गए न्यूनतम समान पाठ्यक्रम में 100 टॉपिक हैं, तो विश्वविद्यालय उनमें से कम से कम 70 टॉपिक रखेंगे तथा उसके अतिरिक्त 30, 40, 50 या कितने भी टॉपिक विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं के अनुरुप रख सकते हैं।

1.2 पाठ्यक्रम संरचना में एक पेपर के क्रेडिट निर्धारित किए गए हैं; उस पेपर में सम्मिलित टॉपिक्स हेतु कितने–कितने क्रेडिट (व्याख्यानों की संख्या) रखे जाएगे, यह विश्वविद्यालय तय करेगा।

1.3 सूच्य है कि वर्तमान में विश्वविद्यालयों में संचालित तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अधिकांश विषयों के कन्टेन्ट में 70–80 प्रतिशत तक टॉपिक तीन वर्ष में समान हैं तथा तीन वर्ष के दौरान किसी एक वर्ष में पढाये जा रहे हैं।

2. **क्षेत्र (Scope)-**

2.1 यह व्यवस्था चिकित्सा (Medicine and Dental etc.)एवं तकनीकी शिक्षा (B.Tech, MCA etc.)के अतिरिक्त सभी संकायों के कार्यक्रमों पर लागू होगी।

2.2 विधि (बी0ए0–एल0एल0बी0,बी0एस0सी–एल0एल0बी0, एल0एल0बी0, एल0एल0एम0, इत्यादि), शिक्षक शिक्षा (बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड.,एम.पी.एड., इत्यादि) के लिये व्यवस्था का निर्धारण उनकी नियामक संस्थाओं के एन.ई.पी–2020 के अनुरुप नए पाठ्यक्रम व संरचना के आने पर किया जायेगा।

3. **परिभाषाएं–**

3.1 **पाठ्यक्रम/कार्यक्रम (Programme)–**

एक वर्ष का सर्टिफिकेट, दो वर्ष का डिप्लोमा, तीन वर्ष की स्नातक डिग्री, चार वर्ष की स्नातक (शोध सहित) डिग्री, पॉच वर्ष की स्नातकोत्तर डिग्री तथा शोध उपाधि यथा–बी0ए0, बी0एस0सी0, बी0कॉम, बी0एड0, बी0बी0ए0, बी0एल0ई0, एम0ए0, एम0एस0सी0, एम0कॉम, एल0एल0बी0, पी0एच0डी0 इत्यादि।

3.2 **संकाय (Faculty)-**

3.2.1 संकाय विषयों का समूह है यथा कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय इत्यादि।

3.2.2 विभिन्न विश्वविद्यालय में जो संकाय एवं प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है वह यथावत् रहेगी। संकायों का गठन किस प्रकार किया जाएगा, यह विश्वविद्यालय स्तर पर तय किया जाता है।

3.2.3 छात्रों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने के लिये संकायों में विषयों के वर्गीकरण एवं विषय कोडिंग की व्यवस्था शासनादेश संख्या 1267/सत्तर–3–2021–16(26)/2011 दिनॉक 15–06–2021 के अनुसार होगी । भाषा संकाय एवं ग्रामीण अध्ययन संकाय को बहुविषयकता के लिये अलग संकाय माना जायेगा किन्तु उन्हें डिग्री कला संकाय (B.A.)की मिलेगी ।

3.3 **विषय (Subject)**-यथा

3.3.1 संस्कृत, हिन्दी, जन्तु विज्ञान, इतिहास आदि ।

3.3.2 एक विषय एक ही संकाय में सूचीबद्ध होगा ।

3.4 **कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र (Course/Paper)-** यथा

3.4.1 एक विषय के विभिन्न थ्योरी/प्रैक्टिकल के पेपर को कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र कहा जायेगा।

3.4.2 थ्योरी और प्रैक्टिकल के पेपर्स/प्रश्नपत्रों का कोड अलग–अलग होगा ।

4. **पाठ्यक्रम/कार्यक्रम लागू करने की समय सारणी**

सभी विश्वविद्यालय स्वयं तथा अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले कालेजों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरुप तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम को निम्नानुसार लागू करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें :–

4.1 तीन विषय वाले सभी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों (बी0ए0, बी0एस0सी0 आदि) व बी0कॉम0 में सी0बी0सी0एस0 आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2021–22 से लागू होगा।

4.2 स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में सी0बी0सी0एस0 आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022–23 से लागू होगा।

4.3 बी0ए0/बी0एस0सी0 ऑनर्स तथा एकल विषय स्नातक कार्यक्रमों में सी0बी0सी0एस0 आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022–23 से लागू होगा।

4.4 पी0एच0डी0कार्यक्रम में नवीन व्यवस्था सत्र 2022–23 से लागू होगी ।

5. मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर इलेक्टिव पेपर

5.1 विद्यार्थी को प्रवेश के समय एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चुनाव करना होगा और उसे उस संकाय के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चुनाव करना होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own Faculty) कहलायेगा जिसका अध्ययन वह तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेस्टर) तक कर सकता है।

5.2 तीसरे मुख्य (मेजर) विषय का चुनाव विद्यार्थी किसी भी संकाय (अपने संकाय सहित) से कर सकता है।

5.3 विद्यार्थी द्वितीय/तृतीय वर्ष में मुख्य विषय बदल सकता है अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है ।

5.4 छात्र को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष के बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं ।

5.5 माइनर इलैक्टिव कोर्स किसी भी विषय का पेपर (4/5/6 क्रेडिट) होगा, न कि पूर्ण विषय।

5.6 माइनर इलैक्टिव पेपर छात्र को किसी भी संकाय (Own faculty or Other faculty)से लेना होगा । इसके लिये किसी भी pre-requisiteकी आवश्यकता नहीं होगी ।

5.7 बहुविषयक्ता (Multidisplinarity)सुनिश्चत करने के लिये स्नातक स्तर पर माइनर इलैक्टिव पेपर सभी छात्रों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिए गए तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) से लेना होगा ।

5.8 **तीसरे मुख्य (मैजर) विषय तथा माइनर इलेक्टिव पेपर का चयन छात्र द्वारा इस प्रकार किया जाएगा कि इनमें से कम से कम एक अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय (Other faculty) से हो ।**

5.9 स्नातकोत्तर स्तर (प्रथम वर्ष) पर माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव अन्य संकाय से करना होगा।

5.10 विद्यार्थी को प्रथम, द्वितीय वर्ष (स्नातक) एवं चतुर्थ वर्ष (स्नातकोत्तर) में माइनर इलैक्टिव विषय (एक माइनर पेपर/प्रति वर्ष) लेना अनिवार्य होगा । विश्वविद्यालय/महाविद्यालय उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर विषय के पेपर को आवंटित कर सकता है। तृतीय, पॉचवें एवं छठवें वर्ष में माइनर इलैक्टिव पेपर अनिवार्य नहीं होगा।

5.11 विद्यार्थी अपनी सुविधा से सम अथवा विषम सेमेस्टर में उपलब्ध माइनर इलैक्टिव पेपर का चुनाव कर सकता है।

5.12 माइनर इलैक्टिव पेपर का चुनाव संस्थान में संचालित विषयों के पेपर में से किया जायेगा । चुने हुए माइनर पेपर की कक्षायें फैक्लटी में संचालित उसी कोर्स की कक्षाओं के साथ ही होंगी तथा उसकी परीक्षा भी उसी के साथ होंगी।

5.13 सभी विषय उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अन्य संकाय के छात्रों के लिये माइनर इलैक्टिव पेपर (4 केडिट का) तैयार कर सकते हैं। ऐसे माइनर इलैक्टिव कोर्स/पेपर का पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की बोर्ड आफ स्टडीज, विद्वत परिषद इत्यादि में नियमानुसार अनुमोदित कराया जायेगा। इस प्रकार के इलैक्टिव पेपर की कक्षायें विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में अलग से होगीं एवं परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार आयोजित होंगी।

6. कौशल विकास कोर्स (Vocational/ Skill development Courses)

6.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षो (चार सेमेस्टरर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का एक कौशल विकास कोर्स (3x4=12क्रेडिट के कुल चार पाठ्यक्रम) करना होगा।

7. सह–विषय/कोर्स (Co-Curricular Courses)

7.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षो (छः सेमेस्टरर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह–विषय/कोर्स करना अनिवार्य होगा ।

7.2 इन छः सह–विषयों के पाठ्यक्रम उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।

7.3 हर सह–विषय/कोर्स को 40 प्रतिशत अंको के साथ विद्यार्थी को उत्तीर्ण करना होगा । विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर इनके प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में सम्मलित नहीं किया जायेगा ।

8. शोध परियोजना (Research Project)

8.1 स्नातक/स्नातकोत्तर/पी.जी.डी.आर. स्तर पर विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर (पांचवें से ग्यारवें सेमेस्टर तक) में शोध परियोजना करनी होगी । विद्यार्थी को तीसरे वर्ष में लघु शोध परियोजना तथा चतुर्थ व पंचम वर्ष में वृह्द शोध परियोजना करनी होगी । पी.जी. डी.आर में शोध परियोजना का स्वरुप विश्वविद्यालय अपने प्री–पी.एच.डी. कोर्स वर्क के अनुसार निर्धारित करेगा।

8.2 विद्यार्थी द्वारा चुने गये तीसरे वर्ष के दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय एवं चतुर्थ, पंचम, षष्टम वर्ष के मुख्य विषय से सम्बंधित शोध परियोजना करनी होगी। यह शोध परियोजना interdisciplinary भी हो सकती है । यह शोध परियोजना इन्डसट्रियल ट्रेनिंग/इर्न्टरनशिप/ सर्वे वर्क इत्यादि के रुप में भी हो सकती है ।

8.3 शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाईजर के निर्देशन में की जायेगी, एक अन्य को–सुपरवाईजर किसी उद्योग/कम्पनी/तकनीकि संस्थान/शोध संस्थान से लिया जा सकता है ।

8.4 विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का संयुक्त प्रबंध (Report/Dissertaion) जमा करेगा, जिसका मूल्यॉकन वर्ष के अंत में सुपरवाईजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रुप से 100 अंकों में से किया जायेगा।

8.5 स्नातक स्तर एवं पी.जी.डी.आर. के विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे परन्तु उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में सम्मलित नहीं किया जायेगा।

8.6 स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में चार क्रेडिट की शोध परियोजना करनी होगी। शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में भी सम्मलित किया जायेगा।

9. क्रेडिट एंव क्रेडिट निर्धारण

9.1 थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कराना होगा।

9.2 प्रैक्टिकल/इर्न्टनशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल/इर्न्टनशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना में थ्योरी के एक घंटे का कार्यभार प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के दो घंटे के कार्यभार के बराबर होगा।

9.3 क्रेडिट सम्बन्धित समस्त कार्य राज्य स्तरीय "ऐकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट" के माध्यम से किये जायेंगे, जिसके दिशा–निर्देश अलग से जारी किये जायेंगे।

9.4 विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टीफिकेट, न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है । इससे आगे विद्यार्थी न्यूनतम 184 क्रेडिट

अर्जित करने पर चर्तुवर्षीय स्नातक (शोध सहित) डिग्री, न्यूनतम 232 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 248 क्रेडिट अर्जित करने पर पी.जी.डी.आर ले सकता है ।

एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात विद्यार्थी उन पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा । उदाहरण के लिये यदि कोई छात्र एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टीफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे । यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो वह या तो अपना मूल सर्टीफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (surrender) कर 46 क्रेडिट को खाते में री–क्रेडिट (re-credit) करेगा अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा तथा जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 92 (46+46)क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है । इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिये भी होगी । यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टीफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है।

9.5 यदि कोई योग्य छात्र (Fast learner)कम समय में डिग्री के लिये आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर अंतराल की सुविधा होगी, परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी। अंतराल के दौरान वह किसी भी कार्य को करने के लिये स्वतंत्र होगा ।

9.6 द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टीफिकेट की श्रेणी में आयेंगे, न कि डिप्लोमा क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिये उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे ।

9.7 तीन वर्ष में विद्यार्थी तीन मुख्य विषयों के कुल केडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत केडिट जिस संकाय में प्राप्त करेगा, उसी संकाय में उसे डिग्री दी जायेगी।

9.8 यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में, तीन मुख्य विषयों के कुल केडिट का न्यूनतम् 60 प्रतिशत क्रेडिट (112 का 60 प्रतिशत अर्थात 67 क्रेडिट)प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर आफ लिबरल ऐजूकेशन (B.L.Ed.)की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के प्रीरिक्वजाइट (prerequisite)की आवश्यकता नहीं होगी।

9.9 यदि कोई योग्य छात्र सर्टीफिकेट/डिप्लोमा ले कर अपने क्रेडिट री–क्रेडिट (re-credit)कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह री–क्रेडिट किये गये क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टीफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है ।

10. उपस्थिति व क्रेडिट निर्धारण

10.1 क्रेडिट वेलीडेशन के लिये परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे ।

10.2 परीक्षा देने के लिये पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी ।

10.3 यदि कोई छात्र कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिये अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता, तो वह आगामी समय में अर्हित परीक्षा दे सकता है । उसे पुनः कक्षायें लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

11. प्रवेश नियमावली एवं प्रक्रिया तथा समय–सारणी (Time table)

11.1 विश्वविद्यालय सभी शिक्षण संस्थानों हेतु प्रवेश नियमावली तथा प्रक्रिया शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों के अनुरुप एक माह के भीतर तैयार करना सुनिश्चित करें जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का समयान्तर्गत सत्र 2021–22 से क्रियान्वयन किया जा सके।

11.2 विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करें कि सभी शिक्षण संस्थान प्रवेश प्रारम्भ होने से पूर्व अपनी समय–सारणी (Time table) तैयार कर लें, जिससे छात्र प्रवेश के समय अन्य

संकाय के उन विषयों का चुनाव कर सकें जिनकी कक्षायें अलग समय पर संचालित होतीं हों तथा उनकी कक्षाओं के समय में ओवरलैपिंग न हो ।

11.3 सभी शिक्षण संस्थान समय–सारणी (Time table) ऐसे तैयार करें कि छात्रों को अन्य संकाय के विषयों को चुनने के अधिकतम विकल्प उपलब्ध हों ।

3— विश्वविद्यालयों से अपेक्षा है कि कृपया शासनादेश सं0 1065/सत्तर–3–2021–16(26)/2011 दिनांक 20.04.2021 के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2021–22 से "च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम" (CBCS) पर आधारित सेमेस्टर सिस्टम एवं न्यूनतम समान पाठ्यक्रम को लागू करना सुनिश्चित करें, ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के उद्देश्यों के अनुरुप प्रदेश स्थित विश्वविद्यालयों के मध्य अकादमिक क्रेडिट ट्रांसफर सम्भव हो सके।

संलग्नक–यथोक्त।

(मोनिका एस.गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–1567 (1)/सत्तर–3–2021, तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1— कुलपति, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।

2— अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।

आज्ञा से

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

संख्या–1032/सत्तर–3–2022–08(35)/2020

प्रेषक,

मोनिका एस.गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कुलपति,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।

2. निदेशक
उच्च शिक्षा, उ0प्र0
प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3

लखनऊ : दिनांक 20 अप्रैल, 2022

विषयः– स्नातक पाठ्यक्रमों में ग्रेडिंग प्रणाली लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत हैं कि प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में स्नातक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2021–22 में लागू कर दिए गए हैं। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–1567/सत्तर–3–2021–16(26)/2011 टी.सी., दिनांक 13.07.2021 द्वारा दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2– उक्त के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सभी विश्वविद्यालयों में समान व्यवस्था तथा विद्यार्थियों का एक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में ABACUS-UP के द्वारा स्थानान्तरण किये जाने के दृष्टिगत स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यू0जी0सी0 के दिशा निर्देशों पर आधारित NEP-2020 के अन्तर्गत बी0ए0, बी0एस0सी0 एवं बी0कॉम0 के प्रथम तीन वर्ष हेतु **ग्रेडिंग प्रणाली** लागू किये जाने के सम्बन्ध में सुझाव दिये गये हैं, जिन्हे संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय कृपया इन पर विचार करना चाहें तथा सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करके NEP-2020 के अन्तर्गत बी0ए0, बी0एस0सी0 एवं बी0कॉम0 के प्रथम तीन वर्ष हेतु ग्रेडिंग प्रणाली लागू करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीया,

(मोनिका एस. गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–1032/सत्तर–3–2022–तद्दिनॉकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
2– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी उ०प्र०।
3– प्रो0 हरे कृष्ण, सांख्यिकी विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, उ०प्र०।
4– डॉ0 दिनेश चन्द्र शर्मा, जन्तु विज्ञान विभाग, कु०मा० कन्या पी०जी० राजकीय महाविद्यालय, बादलपुर, उ०प्र०।

आज्ञा से,

(शमीम अहमद खान)
सचिव।

NEP-2020 के अंतर्गत बी0ए0, बी0एस0सी0 एवं बी0काम0 के प्रथम तीन वर्ष हेतु ग्रेडिंग प्रणाली के सम्बन्ध में सुझाव

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020, स्नातक स्तर पर सत्र 2021–22 से प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों /महाविद्यालयों में लागू की गई है। इस हेतु शासनादेश संख्या 1567/ सत्तर-3-2021-16 (26)-2011 टी.सी. दिनांक 13 जुलाई 2021 के संदर्भ में सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक ग्रेडिंग प्रणाली की आवश्यकता है, जिससे सभी विश्वविद्यालयों में समान व्यवस्था हो तथा विद्यार्थी का एक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में ABACUS-UP के द्वारा स्थानांतरण किया जा सके। अतः स्टीयरिंग कमेटी द्वारा प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में निम्नलिखित 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली लागू किये जाने की संस्तुति की गयी है, जो यूजीसी के दिशा निर्देशो पर आधारित है।

तलिका–1 (Table-1)

लेटर ग्रेड	विवरण	अंको की सीमा	ग्रेड पॉइंट
O	Outstanding	91-100	10
A^+	Excellent	81-90	9
A	Very good	71-80	8
B^+	Good	61-70	7
B	Above Average	51-60	6
C	Average	41-50	5
P	Pass	33-40	4
F	Fail	0-32	0
AB	Absent	Absent	0
Q	Qualified		
NQ	Not Qualified		

2. उत्तीर्ण प्रतिशत

2.1 Qualifying पेपर्स में Qualified के लिए Q ग्रेड तथा Not Qualified के लिए NQ ग्रेड दिया जायेगा।

2.2 उपरोक्त तालिका में मुख्य एवं माइनर विषयों का प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल सभी) Credit course है तथा इन सभी का उत्तीर्ण प्रतिशत अब तक प्रचलित 33 प्रतिशत ही होगा।

2.3 छः सह–पाठ्यक्रम कोर्स (co-curricular courses) तथा तृतीय वर्ष में लघु शोध (Minor project) Qualifying हैं तथा इनके उत्तीर्णांक 40% होगें।

2.4 चार कौशल विकास कोर्स (Skill development/ Vocational courses) भी Credit course हैं तथा इनके उत्तीर्णांक भी 40% ही होगें। शासनादेश संख्या 2058/सत्तर-3-2021-08(33)-2020 टी.सी. दिनांक 26 अगस्त 2021 में प्रदान की गई व्यवस्था के अनुक्रम में कौशल

विकास/रोजगार परक कोर्स/पेपर का मूल्यांकन कुल पूर्णांक 100 में से होगा, जिनमें से प्रशिक्षण/ट्रेनिंग/ प्रैक्टिकल आधारित कार्य का मूल्यांकन 60 अंकों में से होगा तथा सैद्धांतिक (Theory) आधारित कार्य का मूल्यांकन 40 अंकों में से होगा। कौशल विकास कोर्स/पेपर में कुल पूर्णांक 100 में से न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 होंगे । प्रशिक्षण/ट्रेनिंग एवं सैद्धांतिक (Theory) में अलग-अलग कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे ।

2.5 सभी विषयों के मुख्य/माइनर/सह-पाठ्यक्रम/लघु शोध के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल सभी) में अधिकतम अंक 100 में से प्राप्तांकों की गणना 25 अंकों के सतत् आन्तरिक मूल्यांकन व 75 अंकों की विश्वविद्यालय (बाह्य) परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ कर की जायेगी।

2.6 मुख्य एवं माइनर विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 25 अंक (75 का 33 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करने होंगे।

2.7 सह-पाठ्यक्रम/लघु शोध विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 30 अंक (75 का 40 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करने होंगे।.

2.8 किसी भी कोर्स/पेपर के आन्तरिक मूल्यांकन में कोई भी न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत नहीं है। यदि किसी विद्यार्थी को आन्तरिक मूल्यांकन में शून्य अंक व बाह्य परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 (मुख्य एवं माइनर विषयों में) अथवा 40 (सह-पाठ्यक्रम/लघु शोध विषयों में) प्रतिशत अंक मिलते हैं, तब भी वह उत्तीर्ण होगा। आन्तरिक मूल्यांकन में पूर्ण अनुपस्थिति पर भी शून्य अंक ही मिलेगें।

2.9 किसी भी प्रकार के कृपांक (**Grace marks**) नहीं दिये जायेगें।

3. कक्षोन्नति (Promotion)

3.1 विद्यार्थी को वर्तमान विषम (Odd) सेमेस्टर से अगले सम (Even) सेमेस्टर में सदैव प्रोन्नत किया जायेगा, चाहे वर्तमान विषम सेमेस्टर का परिणाम कुछ भी हो।

3.2 वर्तमान सम सेमेस्टर से अगले विषम सेमेस्टर अर्थात वर्तमान वर्ष से अगले वर्ष में प्रोन्नति निम्न शर्तो के साथ दी जायेगी :-

(अ) विद्यार्थी ने वर्तमान वर्ष (दोनों सेमेस्टर मिलाकर) के कुल आवश्यक (required) क्रेडिट्स का न्यूनतम 50% क्रेडिट के पेपर्स (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल मिलाकर) उत्तीर्ण कर लिए हों तथा (ब) विद्यार्थी ने वर्तमान वर्ष (दोनों सेमेस्टर) के Major विषयों (तीन मुख्य विषय प्रथम व द्वितीय वर्ष में तथा दो मुख्य विषय तृतीय वर्ष में) के सभी पेपर्स (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल मिलाकर) के कुल क्रेडिट्स का न्यूनतम 50% क्रेडिट के पेपर्स उत्तीर्ण कर लिए हों। 50% क्रेडिट की गणना करने में दशमलव के बाद के अंक नहीं गिने जाएंगे, जैसे कि 27.6 तथा 27.3 को 27 ही माना जाएगा।

3.3 द्वितीय वर्ष से तृतीय वर्ष में प्रोन्नति के लिए प्रथम वर्ष के आवश्यक (required) 46 क्रेडिट्स के सभी (मुख्य/माइनर/स्किल इत्यादि) पेपर्स तथा Qualifying (सह–पाठ्यक्रम) पेपर्स को उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।

4. बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) परीक्षा

4.1 आन्तरिक परीक्षा में बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु परीक्षा नहीं होगी। केवल पूर्ण सेमेस्टर को बैक परीक्षा के रूप में दोबारा देने की स्थिति में विश्वविद्यालय परीक्षा के साथ आन्तरिक मूल्यांकन भी किया जा सकता है। किंतु एक विद्यार्थी दो पूर्ण सेमेस्टर्स की संपूर्ण परीक्षाएं एक साथ नहीं दे सकेगा।

4.2 विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) की सुविधा सम (विषम) सेमेस्टर्स के पेपर्स के लिए सम (विषम) सेमेस्टर्स में ही उपलब्ध होगी।

4.3 विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु परीक्षा के लिए कोर्स/पेपर तथा उसका पाठ्यक्रम (Syllabus) वही होगा जो उस वर्तमान सेमेस्टर जिसमें वह परीक्षा दे रहा है, में उपलब्ध होगा।

4.4 विद्यार्थी बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु किसी भी कोर्स/पेपर की विश्वविद्यालय (बाह्य) परीक्षा काल बाधित ना होने तक, चाहे कितनी भी बार दे सकता है। किंतु यह व्यवस्था वर्तमान वर्ष से केवल 1 वर्ष पहले के पेपर्स के लिए ही उपलब्ध होगी।

5. काल अवधि

किसी भी एक वर्ष को पूरा करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।

व्याख्याः– (Explanation) यदि विद्यार्थी सततता में तीनों वर्ष की पढ़ाई करता है, तो उसे अधिकतम नौ वर्ष मिलेगें। किन्तु यदि विद्यार्थी किसी एक वर्ष का सर्टिफिकेट/डिप्लोमा

लेकर चला जाता है, तो वह बाकी के वर्षो की पढ़ाई दोबारा शुरू करने के लिए कभी भी वापस आ सकता है तथा उसे आगे के वर्षो की पढ़ाई पूरा करने के लिए तीन वर्ष (प्रति एक वर्ष की पढ़ाई) के मिलेगें।

6. CGPA की गणना

6.1 SGPA एवं CGPA की गणना निम्नवत सूत्रों से की जाएगी:

jth सेमेस्टर के लिए	यहाँ पर:
SGPA (Sj) =∑(Ci x Gi) /∑Ci	Ci = number of credits of the ith course in jth semester. Gi= grade point scored by the student in the ith course in jth semester.
CGPA = ∑(Cj x Sj) /∑Cj	यहाँ पर: Sj= SGPA of the jth semester. Cj= total number of credits in the jth semester.

6.2 CGPA को प्रतिशत अंको में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिवर्तित किया जायेगा:

समतुल्य प्रतिशत =CGPA x 9.5

6.3 विद्यार्थियों को निम्नवत सारणी के अनुसार श्रेणी (Division) प्रदान की जाएगी:

तलिका–2 (Table-2)

श्रेणी	वर्गीकरण
प्रथम श्रेणी	6.50 अथवा उससे अधिक तथा 10.00 से कम CGPA
द्वितीय श्रेणी	5.00 अथवा उससे अधिक तथा 6.50 से कम CGPA
तृतीय श्रेणी	4.00 अथवा उससे अधिक तथा 5.00 से कम CGPA

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–3
संख्या– 2090 /सत्तर–3–2024–09(01)/2023(L4)
लखनऊ : दिनाँक : 02 अगस्त, 2024

1. **कुलपति,**
   समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
   उत्तर प्रदेश।

2. **निदेशक,**
   उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
   प्रयागराज।

जैसा कि आप अवगत हैं कि प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 लागू किये जाने विषयक शासनादेश संख्या–1567/सत्तर–3–2021–16(26)/2011 टी.सी. दिनांक 13.07.2021 के माध्यम से प्रदेश स्थित उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को चार वर्षीय डिग्री प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गयी है।

2– उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0) द्वारा माह दिसम्बर, 2022 में Curricular & Credit Framework for Four Year Undergraduate Programme (FYUP) जारी किया गया है। यू0जी0सी0 द्वारा जारी उक्त फ्रेमवर्क के अनुरूप VC's समिति के सुझाव पर प्रदेश की Curricular & Credit Framework for Four Year Undergraduate Programme (FYUP) नीति तैयार की गयी है, जिसे संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय कृपया इन पर विचार करना चाहें तथा सक्षम निकायों/प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करके शैक्षिक सत्र 2024–25 से लागू करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोक्त।

(एम0पी0 अग्रवाल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
2– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
3– अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, लखनऊ।
4– प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा, कु0 मायावती राजकीय महिला महाविद्यालय, बादलपुर, गौतमबुद्ध नगर।

आज्ञा से,

(शिपू गिरि)
विशेष सचिव।

<u>संलग्नक</u>

<u>स्नातक/चार वर्षीय स्नातक/परास्नातक कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों की संरचना</u>
(Structure of UG, FYUP and PG Programmes)

1. <u>संदर्भ</u> (Introduction)-

यू0जी0सी0 द्वारा जारी किये गये Curriculum & Credit Framework for Four Year Undergraduate Programme (FYUP) में 20 Credit प्रति सेमेस्टर का प्रावधान है जबकि उत्तर प्रदेश में शासनादेश संख्या–1567/सत्तर–3–2021–16(26)/2011टी.सी., दिनांक 13 जुलाई, 2021 द्वारा लागू NEP-2020 की संरचना में Credits अधिक हैं। शिक्षकों एवं छात्रों की ओर से भी पिछले दो वर्षो में यह महसूस किया जा रहा है कि छात्रों पर Credits का भार ज्यादा है और उसे कुछ कम किया जा सकता है। अतः उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के वर्तमान UG-PG पाठ्यक्रम संरचना में UGC-FYUP के 20 क्रेडिट/सेमेस्टर के प्रावधान को अंगीकृत करते हुए संशोधित तालिकायें तथा उनका विस्तृत विवरण निम्नवत् है :–

2. <u>क्षेत्र (Scope)-</u>

2.1 (अ) यह व्यवस्था कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि संकायों में त्रिवर्षीय बहुविषयक स्नातक तथा चार वर्षीय स्नातक (मानद व मानद शोध सहित) यथा बी0ए0, बी0एससी0 एवं बी0काम0 तथा एकल विषय परास्नातक यथा एम0ए0, एम0एससी0, एम0काम0 कार्यक्रमों में लागू होगी।

(ब) त्रिवर्षीय एकल विषय स्नातक, स्नातक (आनर्स), यथा बी0एससी0 (माइक्रोबाओलोजी) इत्यादि तथा एकल विषयक/संकाय स्नातक यथा बी0सी0ए0, बी0बी0ए0 आदि कार्यक्रमों में भी लागू होगी।

2.2 (अ) त्रिवर्षीय स्नातक स्तर पर विभिन्न विषयों के न्यूनतम समान पाठ्यक्रम (Minimum Common Syllabus) पूर्व में ही उपलब्ध करा दिये गये हैं। वह आगे भी लागू रहेंगे।

(ब) चार वर्षीय स्नातक (FYUP) कोर्स का पाठ्यक्रम स्नातक के तीन वर्ष एवं परास्नातक के प्रथम वर्ष को जोड़कर माना जायेगा, पृथक से नये पाठ्यक्रम बनाने की आवश्यकता नहीं होगी।

2.3 (अ) बहुविषयक त्रिवर्षीय स्नातक, चार वर्षीय स्नातक (एप्रेन्टिसशिप एम्बेडिड), चार वर्षीय स्नातक (मानद) एवं स्नातक (मानद शोध सहित), परास्नातक एवं प्री–पीएच.डी. कोर्स वर्क इत्यादि में विषयों तथा क्रेडिट्स की विस्तृत जानकारी तालिका–1 में दी गई है।

(ब) त्रिवर्षीय एकल विषय स्नातक, स्नातक (आनर्स), यथा बी0एससी0 (माइक्रोबाओलोजी) इत्यादि तथा एकल विषयक/संकाय स्नातक यथा बी0सी0ए0, बी0बी0ए0 आदि के लिए व्यवस्था तालिका–2 में दी गई है।

2.4 यह सभी व्यवस्थायें सत्र 2024–25 से लागू होंगी।

2.5 अन्य संकायो अथवा कार्यक्रमों यथा–चिकित्सा, तकनीकी, शिक्षक शिक्षा, कृषि, विधि आदि में नियामक संस्थाओं के नियम लागू होते हैं, उन के लिए व्यवस्था का निर्धारण नियामक संस्थाओं यथा–एम0सी0आई0, ए0आई0सी0टी0ई0, एन0सी0टी0ई0, बी0सी0आई0 आदि के एन0ई0पी0–2020 के अनुरूप नए पाठ्यक्रम व संरचना आने पर किया जायेगा।

3. <u>परिभाषाएं</u>–

3.1 पाठ्यक्रम/कार्यक्रम (Programme)–

एक वर्ष का सर्टिफिकेट, दो वर्ष का डिप्लोमा, तीन वर्ष की स्नातक डिग्री, चार वर्ष की स्नातक (मानद), स्नातक (मानद शोध सहित) डिग्री एवं स्नातक (एप्रेन्टिसशिप एम्बेडिड), पॉच वर्ष की

स्नातकोत्तर डिग्री तथा शोध उपाधि यथा–बी0ए0, बी0एससी0, बी0कॉम, बी0एड0, बी0बी0ए0, बी0एल0ई0, एम0ए0, एम0एससी0, एम0कॉम0, एल0एल0बी0, पीएच0डी0 इत्यादि।

3.2 संकाय (Faculty)-

3.2.1 संकाय विषयों का समूह है यथा- कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय इत्यादि।

3.2.2 छात्रों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने के लिये संकायों में विषयों के वर्गीकरण एवं विषय कोडिंग की व्यवस्था शासनादेश संख्या–1267/सत्तर–3–2021–16(26)/2011, दिनॉक 15.06.2021 के अनुसार होगी।

3.2.3 उक्त शासनादेश में निर्धारित कतिपय संकायों को यू0जी0सी0 के सुझाव के अनुसार और अधिक विभाजित किया जा रहा है। जैसे कि विज्ञान संकाय को गणितीय विज्ञान, जैविक विज्ञान, भौतिकीय विज्ञान संकाय इत्यादि तथा भाषा संकाय को भारतीय व विदेशी भाषा संकायों इत्यादि में। उक्त के लिए पृथक से शासनादेश जारी किया जायेगा।

3.2.4 कला एवं विज्ञान संकायों में विभाजन को बहुविषयकता के लिये अलग संकाय माना जायेगा किन्तु उन्हें डिग्री क्रमशः कला संकाय (B.A.) एवं विज्ञान संकाय (B.Sc.) की ही मिलेगी। इसी प्रकार ग्रामीण विज्ञान जो कि कला संकाय से विभाजित हुआ है, में भी कला संकाय (B.A.) की डिग्री मिलेगी।

3.2.5 संकायों में विषयों के वर्गीकरण की यह व्यवस्था मात्र विषय कोडिंग एवं छात्रों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने हेतु है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो संकाय एवं प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है, वह यथावत् रहेगी। (शासनादेश संख्या–1276/सत्तर–3–2021–16(26)/2011, दिनॉक 16–06–2021)

3.3 विषय (Subject)- यथा

3.3.1. संस्कृत, हिन्दी, जन्तु विज्ञान, इतिहास आदि।

3.3.2. एक विषय एक ही संकाय में सूचीबद्ध होगा।

3.4 कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र (Course/Paper)-

3.4.1 एक विषय के विभिन्न थ्योरी/प्रैक्टिकल के पेपर को कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र कहा जायेगा।

3.4.2 थ्योरी, प्रैक्टिकल और शोध परियोजना के पेपर्स/प्रश्नपत्रों का कोड अलग–अलग होगा।

4. मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर विषय के इलेक्टिव पेपर

4.1 प्रारम्भ में विद्यार्थी का प्रवेश तीन वर्ष की स्नातक डिग्री हेतु होगा। चौथे वर्ष में विद्यार्थी चार वर्ष की स्नातक (मानद), स्नातक (मानद शोध सहित) एवं स्नातक (एप्रेन्टिससिप एम्बेडिड) डिग्री में से किसी एक का चयन कर सकते हैं।

4.2 (अ) विश्वविद्यालय इच्छुक संस्थानों को चार वर्षीय स्नातक (FYUP) की मान्यता/सम्बद्धता नये कोर्स के रुप में नियमानुसार प्रदान कर सकते हैं।

(ब) विश्वविद्यालय इच्छुक संस्थानों के आवेदन करने पर तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय के नियमानुसार चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम (FYUP) में उच्चीकृत कर सकते हैं।

4.3 (अ) विद्यार्थी को प्रवेश के समय बी.ए., बी.एस.सी, बी.कॉम आदि में से किसी एक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम का चयन करना होगा और उसे उस पाठ्यक्रम के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चयन करना होगा। इसी पाठ्यक्रम में विद्यार्थी को डिग्री मिलेगी। पाठ्यक्रम के चयनित

विषयों का अध्ययन वह तीन/चार वर्ष (प्रथम से छठे/अष्ट्म सेमेस्टर) तक कर सकता है। यदि वह किसी वर्ष/वर्षों में विषय परिवर्तित करता है तो उसे बिन्दु 8.8 के अनुसार डिग्री दी जायेगी।

(ब) चार वर्षीय स्नातक (मानद) एवं स्नातक (मानद शोध सहित) डिग्री के लिए चतुर्थ वर्ष में विद्यार्थी उपरोक्त दो मेजर विषयों में से किसी एक विषय (जिसका अध्ययन विद्यार्थी ने अनिवार्य रुप से पूर्व के तीन वर्षों/छः सेमेस्टर में किया है) का चयन करेगा तथा सप्तम व अष्टम् सेमेस्टर्स में भी उसी विषय को पढ़ेगा।

(स) तीन वर्षीय स्नातक के पश्चात विद्यार्थी किसी नये विषय में परास्नातक में प्रवेश ले सकता है (जिसमें Pre-requistie के अनुसार वह अर्ह है), परन्तु एक वर्ष की परास्नातक/चतुर्थ वर्ष की पढ़ाई के बाद उसे कोई डिग्री अथवा डिप्लोमा नहीं मिलेगा। दो वर्ष पूर्ण एवं उत्तीर्ण करने पर ही उसे उस विषय में परास्नातक की डिग्री मिलेगी।

(द) त्रिवर्षीय स्नातक के अध्ययन के पश्चात चार वर्षीय डिग्री के लिए भी विद्यार्थी को उस विषय में परास्नातक में नया प्रवेश लेना होगा जो कि विश्वविद्यालय में प्रचलित प्रवेश प्रक्रिया के अनुरूप परास्नातक की उपलब्ध सीटों पर किया जायेगा।

4.4 विद्यार्थी द्वारा तीसरे गौण (माइनर) विषय का चयन बहुविषयकता के लिए किसी भी अन्य संकाय से विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में सीट उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।

4.5 विद्यार्थी द्वितीय/तृतीय वर्ष में मुख्य विषय परिवर्तित कर सकता है अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है।

4.6 विद्यार्थी को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं।

4.7 तीसरे गौण (माइनर) विषय का कोर्स किसी भी विषय का इलेक्टिव पेपर (6 क्रेडिट) होगा, न कि पूर्ण विषय। इस कोर्स के चुनाव में Pre-requisite का ध्यान रखा जाना आवश्यक नहीं है। विश्वविद्यालय अपने स्तर पर यह निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सा कोर्स गौण (माइनर) विषय के रूप में दिया जा सकता है।

4.8 सभी विश्वविद्यालय उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अन्य संकाय/विषय के छात्रों के लिये माइनर इलैक्टिव पेपर (6 क्रेडिट का) तैयार कर सकते हैं। ऐसे माइनर इलैक्टिव कोर्स/पेपर का पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की बोर्ड आफ स्टडीज, विद्धत परिषद् इत्यादि में नियमानुसार अनुमोदित कराया जायेगा। इस प्रकार के इलैक्टिव पेपर की कक्षायें विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में अलग से होगी तथा परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार आयोजित होंगी।

4.9 विश्वविद्यालय माइनर पेपर/स्किल कोर्स के लिये स्वयम् (SWAYAM) पोर्टल एवं अन्य मान्यता प्राप्त आनलाईन संस्थानों की वेबसाइट पर उपलब्ध कोर्स की सूची बनाकर संस्तुत कर सकते हैं। उक्तानुसार संस्तुत कोर्स का अध्ययन विद्यार्थी स्वयम् (SWAYAM) एवं अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों की वेबसाइट से निःशुल्क कर सकते हैं तथा विश्वविद्यालय इन कोर्सों की परीक्षा माइनर पेपर के साथ करायेंगे।

4.10 यदि विद्यार्थी उक्त कोर्सेज को स्वयम् (SWAYAM) अथवा अन्य मान्यता प्राप्त आनलाईन संस्थानों से परीक्षा देकर उत्तीर्ण करता है, तो वह इसका सर्टीफिकेट अपने महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में जमा करेगा। माइनर पेपर्स के लिये अधिकतम 12 क्रेडिट तथा स्किल कोर्स के लिये अधिकतम 9 क्रेडिट मान्य होंगे तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ग्रेड प्वाइन्ट्स इन्हीं क्रेडिट को दिये जायेंगे तथा SGPA/CGPA की गणना की जायेगी।

4.11 एन0सी0सी0 को शासनादेश संख्या–1815 / सत्तर–3–2021–16(26) / 2011, दिनांक 09.08.2021 में वर्णित व्यवस्थानुसार माइनर विषय के क्रेडिट प्रदान किये जा सकते हैं।

5. कौशल विकास कोर्स (Vocational /Skill development Courses)

5.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (प्रथम तीन सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का एक कौशल विकास कोर्स (3x3=9 क्रेडिट के कुल तीन पाठ्यक्रम) करना अनिवार्य होगा।

5.2 उक्त कौशल विकास कोर्स पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या–1969 / सत्तर–3–2021, दिनांक 18 अगस्त, 2021 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार संचालित किये जाएं।

5.3 यदि विद्यार्थी यू0जी0सी0 / PMKVY 4.0 / केन्द्र / राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से तीन या उससे अधिक क्रेडिट का कोई ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन कौशल विकास कोर्स करता है, तो उसे उतने ही क्रेडिट प्रदान कर दिए जायेंगे। स्नातक के लिए कुल 9 क्रेडिट अर्जित करना आवश्यक है। विद्यार्थी अधिकतम् 9 क्रेडिट (एक साथ / अलग–अलग) को कम अथवा अधिक समय में पूरे कर सकते हैं।

6. सह–पाठ्यचर्या पाठ्यकम / कोर्स (Co-Curricular Courses)

6.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षो (चार सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में दो क्रेडिट का एक सह–पाठ्यचर्या पाठ्यकम / कोर्स करना अनिवार्य होगा अर्थात कुल 8 क्रेडिट (4 कोर्स से) अर्जित करने होंगे।

6.2 इन सह–पाठ्यचर्या पाठ्यकमों / कोर्सेज की परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र के माध्यम से करायी जायेगी। इनमें उत्तीर्ण प्रतिशत वहीं होगा जो मुख्य व माइनर विषय के पेपर्स में होगा तथा इनमें प्राप्त ग्रेड्स को सी0जी0पी0ए0 की गणना में सम्मिलित किया जायेगा।

6.3 प्रथम सेमेस्टर में प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (First aid and Basic Health), द्वितीय सेमेस्टर में मानवीय मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन (Human Values and Environment studies), तृतीय सेमेस्टर में शारीरिक शिक्षा एवं योग (Physical Education and Yoga) का अध्ययन किया जायेगा, जिनके पाठ्यक्रम पूर्व से संचालित हैं।

6.4 सभी विश्वविद्यालय चतुर्थ सेमेस्टर में एक भारतीय / स्थानीय भाषा तथा यू0जी0सी0 द्वारा बनाये गये "सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता (Social Responsibility and Community Engagement)" पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से चलायेंगे। भारतीय भाषा को मुख्य विषय के रुप में लेने वाले विद्यार्थी "सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता पाठ्यकम" का अध्ययन करेंगे तथा अन्य विद्यार्थी भारतीय / स्थानीय भाषा का अध्ययन करेंगे, जिसका पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयों द्वारा स्थानीय भाषा के दृष्टिगत तैयार किया जायेगा।

7. शोध परियोजना (Research Project)

7.1 स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष के बाद ग्रीष्मावकाश में विद्यार्थी अपने द्वारा चयनित दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय से संबंधित तीन क्रेडिट की एक शोध परियोजना करेगा। ग्रीष्मावकाश में पूर्ण न कर पाने की स्थिति में यह शोध परियोजना तृतीय वर्ष के पंचम सेमेस्टर में भी की जा सकती है परन्तु उसे द्वितीय वर्ष में उत्तीर्ण तभी माना जायेगा जब उसके द्वारा उक्त शोध परियोजना पूर्ण कर ली जायेगी।

7.2 स्नातक चतुर्थ वर्ष अथवा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के दोनों सेमेस्टर्स में विद्यार्थी चार–चार क्रेडिट के दो कोर्स के स्थान पर एक शोध परियोजना ले सकता है। यह शोध परियोजना एक सप्तम एवं एक अष्टम सेमेस्टर के थ्योरी कोर्स के स्थान पर लेनी होंगी ना कि किसी एक सेमेस्टर के दो

कोर्स के स्थान पर। स्नातक चतुर्थ वर्ष में शोध सहित उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को स्नातक (मानद शोध सहित) की उपाधि दी जाएगी।

7.3 स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष (उच्च शिक्षा का पंचम वर्ष) में अनिवार्य रूप से एक शोध परियोजना करनी होगी जो कि नवम एवं दशम सेमेस्टर में चार–चार क्रेडिट्स की होगी।

7.4 पी.जी.डी.आर. में चार क्रेडिट की शोध परियोजना का स्वरुप विश्वविद्यालय अपने प्री–पी.एच.डी. कोर्स वर्क के अनुसार निर्धारित करेंगे। स्नातक (मानद शोध सहित) उपाधि प्राप्तकर्ता परास्नातक पूर्ण किये बिना भी पी0एच0डी0 की प्रवेश प्रक्रिया जैसे प्रवेश परीक्षा एवं साक्षात्कार इत्यादि के लिए अर्ह होगा।

7.5 शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाईजर के निर्देशन में पूर्ण की जायेगी। सुपरवाईजर के रुप में एक अन्य विशेषज्ञ को किसी उद्योग/कम्पनी/तकनीकी संस्थान/शोध/शिक्षण संस्थान से लिया जा सकता है।

7.6 यह शोध परियोजना इन्टरडिस्पलनरी/मल्टीडिस्पलनरी भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप/सर्वे वर्क इत्यादि के रुप में भी हो सकती है।

7.7 विद्यार्थी स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष के पश्चात की गई शोध परियोजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में जमा करेगा।

7.8 स्नातक (मानद शोध सहित)/स्नातकोत्तर स्तर पर विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना की रिपोर्ट/शोध–प्रबन्ध (Report/Dissertaion) अपने विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में जमा करेगा।

7.9 पी.जी.डी.आर. स्तर पर विद्यार्थी प्री–पीएच.डी. कोर्स वर्क के पश्चात की गई शोध परियोजना की रिपोर्ट/शोध–प्रबन्ध (Report/Dissertaion) अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में जमा करेगा।

7.10 बिन्दु 7.1 के अतिरिक्त उपरोक्त सभी स्नातकोत्तर कार्यक्रम शोध परियोजनाओं का मूल्यॉकन सुपरवाईजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रुप से 100 (75 शोध प्रबंध +25 शोध पत्र) अंकों में से किया जायेगा। विद्यार्थी अपनी इस शोध परियोजना में से पेटेन्ट प्रकाशन अथवा शोध पत्र (UGC-CARE listed) अथवा बुक चैप्टर (ISBN) स्नातकोत्तर कार्यक्रम के दौरान प्रकाशित करवायेगा। 25 अंक पेटेन्ट अथवा शोध पत्र (UGC-CARE listed) अथवा बुक चैप्टर (ISBN) पर ही देय होंगे। पेटेन्ट अथवा शोध पत्र (UGC-CARE listed) अथवा बुक चैप्टर (ISBN) न होने पर प्राप्तांक अधिकतम् 75 अंक ही देय होंगे । पूर्णांक अधिकतम 100 ही होंगे। दो राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार/संगोष्ठी में पेपर प्रजेन्ट करने पर भी 25 अंक देय होंगे। पेटेन्ट/शोध पत्र/बुक चैप्टर का प्रकाशन सुपरवाईजर तथा कई विद्यार्थियों द्वारा संयुक्त रूप से कराने पर भी मान्य होगा।

7.11 स्नातक, स्नातक (मानद शोध सहित), स्नातकोत्तर एवं पी.जी.डी.आर. के विद्यार्थियों की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में भी सम्मलित किया जायेगा।

8. क्रेडिट एंव क्रेडिट निर्धारण

8.1 थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कराना होगा।

8.2 प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना में थ्योरी के एक घंटे का कार्यभार

प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के दो घंटे के कार्यभार के बराबर होगा, अर्थात् प्रैक्टिकल के दो घंटे का कार्य एक घंटे का वर्कलोड माना जायेगा।

8.3 क्रेडिट सम्बन्धित समस्त कार्य "ऐकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट" (ABC/ABACUS) के माध्यम से किये जायेंगे, जिसके दिशा–निर्देश पृथक से समय–समय पर जारी किए जाते हैं।

8.4 विद्यार्थी न्यूनतम 40 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टीफिकेट, न्यूनतम 80 क्रेडिट अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 120 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी न्यूनतम 160 क्रेडिट अर्जित करने पर चार वर्षीय स्नातक (मानद), स्नातक (मानद शोध सहित) अथवा स्नातक (एप्रेन्टिससिप एम्बेडिड) डिग्री, न्यूनतम 200 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 216 क्रेडिट अर्जित करने पर पी.जी.डी.आर. की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं।

त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री के पश्चात् विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में संसाधन की उपलब्धता होने पर विद्यार्थी एक वर्ष की 40 क्रेडिट की इंटर्नशिप NATS या समकक्ष/समतुल्य से कर सकता है। यह इंटर्नशिप विद्यार्थी 6 माह के दो अथवा 4 माह के तीन अथवा 3 माह के चार भागों में भी कर सकता है। यह इंटर्नशिप विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के मार्गदर्शन में सहयोगी संस्था/इन्डस्ट्री से की जायेगी। 40 क्रेडिट (1200 घण्टों) की इस इंटर्नशिप के पश्चात् विद्यार्थी को स्नातक (इंटर्नशिप/एप्रेन्टिससिप सहित) की उपाधि दी जायेगी।

8.5 एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात विद्यार्थी उन पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिये यदि कोई छात्र एक वर्ष के बाद 40 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टीफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे । यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो वह या तो अपना मूल सर्टीफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (surrender) कर 40 क्रेडिट को खाते में री–क्रेडिट (re-credit) करेगा। यदि विद्यार्थी री–क्रेडिट (re-credit) नहीं करता है तो, नए 40 क्रेडिट पुनः जमा करेगा तथा जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 80 (40+40) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिये भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टीफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 120 क्रेडिट के आधार पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री प्राप्त कर सकता है।

8.6 यदि कोई योग्य छात्र (Fast learner) कम समय में डिग्री के लिये आवश्यक क्रेडिट (ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन) प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर डिग्री दो वर्ष बाद ही मिल जायेगी। इसके लिये विश्वविद्यालय अपने सक्षम विधिक निकायों/समितियों के माध्यम से नियमों को अनुमोदित करायेंगे।

8.7 द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टीफिकेट की श्रेणी में आयेंगे, न कि डिप्लोमा क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिये उसे उसी विषय के लिए आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।

8.8 तीन वर्ष में विद्यार्थी जिस संकाय के दो मुख्य विषयों में न्यूनतम् 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा, उसी संकाय में उसे डिग्री दी जायेगी और विश्वविद्यालय नियमानुसार स्नातकोत्तर में प्रवेश की सुविधा होगी।

जैसे यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में, दो मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम् 60 प्रतिशत क्रेडिट (88 का 60 प्रतिशत अर्थात 53 क्रेडिट) प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर आफ लिबरल ऐजूकेशन की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के प्रीरिक्वजाइट (prerequisite) की आवश्यकता नहीं होगी।

8.9 यदि कोई योग्य छात्र सर्टीफिकेट/डिप्लोमा ले कर अपने क्रेडिट री–क्रेडिट (re-credit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह री–क्रेडिट किये गये क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टीफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

8.10 विद्यार्थी निकास के समय आवश्यक कुल क्रेडिट के अधिकतम 40 प्रतिशत तक (As per UGC/NEP guidlines) क्रेडिट आनलाइन शिक्षा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

9. उपस्थिति व क्रेडिट निर्धारण

9.1 क्रेडिट वैलीडेशन के लिये परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे।

9.2 परीक्षा देने के लिये पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

9.3 यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिये अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता, तो वह आगामी समय में अर्हित परीक्षा दे सकता है। उसे पुनः कक्षायें लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

10. प्रवेश नियमावली एवं प्रक्रिया तथा समय–सारणी (Time table)

10.1 विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी उच्च शिक्षण संस्थान/महाविद्यालय प्रवेश आरम्भ होने से पूर्व ही अपनी समय–सारणी (Time table) तैयार कर लें, जिससे विद्यार्थी प्रवेश के समय अन्य संकाय के उन विषयों का चयन कर सकें जिनकी कक्षायें अलग समय पर संचालित होती हों ताकि उनकी कक्षाओं के समय में ओवरलैपिंग न हो।

10.2 सभी शिक्षण संस्थान इस प्रकार से समय–सारणी (Time table) तैयार करें जिससे कि विद्यार्थियों को अन्य संकाय के विषयों के चयन के अधिकतम विकल्प उपलब्ध हो सकें।

11. ग्रेडिंग प्रणाली

11.1 शासनादेश संख्या–1032/सत्तर–3–2022–08(35)/2020, दिनांक 20 अप्रैल, 2022 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार स्नातक स्तर पर ग्रेडिंग प्रणाली को संचालित किया जाय।

11.2 स्नातकोत्तर स्तर पर विश्वविद्यालय अपने स्तर पर इसी प्रकार की ग्रेडिंग प्रणाली विकसित कर सकते हैं।

12 सतत आंतरिक एवं विश्वविद्यालय द्वारा मूल्यॉकन

12.1 सतत आंतरिक मूल्यॉकन का उद्देश्य केवल आंतरिक परीक्षा नहीं है, अपितु विद्यार्थी का सर्वांगीण मूल्यॉकन करना है। एन0ई0पी0–2020 के अनुसार सभी विद्यार्थियों का सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) कराया जाना है, जिसे शिक्षक, शिक्षण कार्य के साथ पूर्ण करेंगे।

12.2 मुख्य व माईनर विषयों के केवल थ्योरी पेपर्स में 25 अंक का सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) अनिवार्य होगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा 75 अंको की परीक्षा करायी जायेगी। प्रयोगात्मक, वोकेशनल/स्किल, को–करीकुलर तथा शोध परियोजना के कोर्सेज में सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) आवश्यक नहीं है तथा विश्वविद्यालय द्वारा इन कोर्सेज की परीक्षा 100 अंको के आधार पर होगी। वोकेशनल/स्किल कोर्सेज का मूल्यॉकन पूर्व की भॉति शासनादेश संख्या–1969/सत्तर–3–2021, दिनॉक 18.08.2021 के अनुसार किया जायेगा।

12.3 सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) के लिए किसी भी प्रकार की केन्द्रीयकृत/विश्वविद्यालय स्तरीय मिड टर्म परीक्षायें आयोजित नहीं की जायेंगी।

12.4 शासनादेश संख्या–2058/सत्तर–3–2021–08(33)/2020टी0सी0, दिनांक 26.08.2021 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) प्रोजेक्ट (Project), सेमिनार (Seminar), रोल प्ले (Role play), क्विज (Quiz), पजल (Puzzle), टेस्ट (Test), प्रैक्टिकल (Practical), सर्वे (Survey), बुक रिव्यू (Book review), स्टूडेंट पार्लियामेन्ट (Student parliamen), स्क्रीनप्ले (Screenplay), निबन्ध (Essay), एक्सटेम्पोर (Extempore), एक्जीबिशन (Exhibition), फेयर (

Fair), शैक्षणिक भ्रमण (Visit) आदि के द्वारा किया जा सकता है। सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालयों के परीक्षा नियंत्रक नीति निर्धारित करेंगे।

12.5 विद्यार्थी के सतत् आंतरिक मूल्यॉकन के अंक प्रदान करने के लिये पाठ्येत्तर गतिविधियों (Extra-Curricular activities, Study tour, Sports, Outreach activity, Social Service etc) का उपयोग भी किया जा सकता है, जिसके लिये विस्तृत दिशा–निर्देश विश्वविद्यालयों द्वारा अपने स्तर से जारी किये जायेंगे।

Uttar Pradesh NEP-2020 UG-PG course structure aligned with FYUGP of UGC

Table 1: (To be in effect from 2024-25 Session)

{Cummulative Minimum Credits} Required for Award of Certificate/ Diploma/ Degree			Subject I	Subject II	Subject III	Vocational Skill Enhancement Courses (SEC) with Summer Internship	Co-Curricular Ability / Enhancement Courses (AEC)	Research Project / Dissertation/ Internship / Field or survey work	{Minimum Credits} For the year
			Major (core)	Major (core)	Minor Multidisciplinary	Minor	Minor	Major	
			4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	6 Credits	3 Credits	2 Credits	3/4 Credits	
	Year	Sem.	Own Faculty	Own Faculty	Other Faculty	Vocational Skill Enhancement Courses (SEC) with Summer Internship	Co-Curricular Ability / Enhancement Courses (AEC)	Inter/Intra Faculty related to main Subject	
{40} Certificate in Faculty	1	I	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (6)	1 (3)	1 (2)		40
		II	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1 (3)	1 (2)		
{40+40=80} Diploma in Faculty	2	III	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (6)	1 (3)	1 (2)		40
		IV	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)			1 (2)	1 (3) Point 7.1	
{80+40=120} 3-year UG Degree	3	V	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)					40
		VI	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)					
Fourth Year									
*Apprenticeship / Internship embedded UG degree programme	4	12 Months Apprenticeship/ Internship through NATS or from equevelent organization/ Industry/institute				1 (40) 1200 hours			40
OR									
{120+40=160} 4-year UG Degree (Honours)	4	VII	Th-5(4) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						40
		VIII	Th-5(4) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						
OR									
{120+40=160} 4-year UG Degree (Honours with Research)	4	VII	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)		Students who secure 75% marks in the first 6 semesters			1 (4)	40
		VIII	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					1 (4)	
200 Master in	5	IX	Th-4(4) or Th-3(4)+					1 (4)	40

Faculty			Pract-1(4)						
		X	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					I (4)	
{216} PGDR in Subject	6	XI	Th-4(2)	I (4) Research Methodology				I (4)	16
Ph.D. in Subject	6,7,8	XII-XVI						Ph. D. Thesis	

*Apprenticeship/Internship embedded degree programme degree holder have to do 2 year PG programme. It is purely optional for Universities, to run and give this degree.

3 year Honors/Single subject programme structure
Table 2: (To be in effect from 2024-25 Session)

{Cummulative Minimum Credits} Required for Award of Certificate/ Diploma/ Degree			Subject I	Subject II	Subject III	Vocational Skill Enhancement Courses (SEC) with Summer Internship	Co-Curricular Ability / Enhancement Courses (AEC)	Research Project / Dissertation / Internship/ Field or survey work	**{Minimum Credits}** For the year
			Major (core)	Major (core)	Minor Multidisciplinary	Minor	Minor	Major	
			4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	6 Credits	3 Credits	2 Credits	3/4/5 Credits	
	Year	Sem.	Own Faculty	Own Faculty	Other Faculty	Vocational Skill Enhancement Courses (SEC) with Summer Internship	Co-Curricular Ability / Enhancement Courses (AEC)	Inter/Intra Faculty related to main Subject	
{40} Certificate in Faculty	1	I	Th-3(4) or Th-2(4)+ Pract-1(4)		I (6)	I (3)	I (2)		40
		II	Th-3(4) or Th-2(4)+ Pract-1(4)			I (3)	I (2)		
{40+40=80} Diploma in Faculty	2	III	Th-3(4) or Th-2(4)+ Pract-1(4)		I (6)	I (3)	I (2)		40
		IV	Th-3(4) or Th-2(4)+ Pract-1(4)				I (2)	I (3) Point 7.1	
{80+40=120} 3-year Single Subject Plain UG Degree	3	V	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					I (4)	40
		VI	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					I (4)	
					or				
{80+50=130} 3-year Single Subject Honours UG Degree		V	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)					I (5)	50
		VI	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)					I (5)	

- Single subject 3 years UG programme examples: BBA, BCA, BHM, BSc (Chemistry), BSc, Chemistry (Hnours), Etc.
- After both the above programmes (3 years plain or Honours degree), one has to pursue 4th/ 5th years of UG/ PG programmes as given in the Table 1, in the same manner as the one who completes, 3 years UG degree of Table 1.

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–3
संख्या– 226 /सत्तर–3–2024–08(19)/2022(L1)
लखनऊ : दिनॉक : 02 अगस्त, 2024

1. **कुलपति,**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

2. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

जैसा कि आप अवगत हैं कि प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 लागू किये जाने विषयक शासनादेश संख्या–1567/सत्तर–3–2021–16(26)/2011 टी.सी. दिनांक 13.07.2021 के माध्यम से प्रदेश स्थित उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों हेतु केडिट एवं केडिट निर्धारण की सुविधा प्रदान की गयी है।

2– उक्त के कम में VC's समिति के सुझाव पर प्रदेश की **Online Course Mapping and Credit transfer Policy** तैयार की गयी है, जिसे संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय कृपया इन पर विचार करना चाहें तथा सक्षम निकायों/प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करके शैक्षिक सत्र 2024–25 से लागू करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोक्त।

(एम0पी0 अग्रवाल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
2– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
3– अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, लखनऊ।
4– प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा, कु0 मायावती राजकीय महिला महाविद्यालय, बादलपुर, गौतमबुद्ध नगर।

आज्ञा से,

(शिपू गिरि)
विशेष सचिव।

संलग्नक

Online Course Mapping and Credit transfer Policy Of Higher Education Department, UP

The National Education Policy (NEP) 2020 has emphasized the need for a flexible and student-centric education system, including credit transfer provisions and online course mapping. The importance of credit transfer and online course mapping has been realized in promoting flexibility, mobility, and academic diversity in higher education and enabling students to take courses from different institutions including SWAYAM, NPTEL portals and other recognized MOOCs as per UGC regulations-2021 and earn credits that could be transferred to concerned higher education institution (HEI). The NEP 2020 recommends the establishment of a National Education Technology Forum (NETF) to lay down content, technology, and pedagogy standards for online/digital teaching-learning. These standards will help to formulate guidelines for e-learning by States, Boards, Schools, HEIs,etc, which eventually facilitate the development and use of online courses and digital platforms for education. The National Repository of Open Educational Resources (NROER) may also further expand from the school level to higher education and couldserve as a centralized platform for hosting and sharing digital learning resources, including online courses to provide access to high-quality learning resources for students and teachers across the country. The establishment of the Academic Bank of Credit (ABC/ABACUS-UP) will facilitate credit transfer among different HEIs and will maintain records of academic credits earned by students in different institutions, which can be transferred across institutions seamlessly. Thus, the NEP 2020 has recognized the importance of credit transfer and online course mapping in promoting flexibility, mobility, and academic diversity in higher education with the aim to create a more student-centric and flexible education system that can meet the diverse learning needs of students.

1. Online mode of education:

1.1. NEP 2020 has set an ambitious goal of achieving a Gross Enrollment Ratio (GER) of 50 percent by 2035. To achieve this target, higher education must be imparted in various ways, and online learning is an increasingly popular approach. Hundreds of online courses are recognized by the UGC, including those available on portals like SWAYAM and NPTEL, which provide an ideal platform for multidisciplinary education.

1.2 The NEP-2020 acknowledges the importance of recognizing and transferring credits earned through online courses for the completion of various degrees. In line with the NEP's objectives, the UP State Government has allowed the earning and transfer of credits of online courses through various orders vide G.O. Number-1065/Sattar-3-2021-16(26)/2011, dated 20-04-2021 and 1567/Sattar-3-2021-16(26)/2011TC dated 13-07-2021, which have been adopted by the universities in the State of UP through their academic bodies and EC.

1.3 To increase GER, we need to open new Higher Education Institutes (HEIs), which require considerable funds for infrastructure and faculty salaries. However, there is a limit to how many new HEIs can be established. Online education can help increase GER without opening new HEIs and can also help overcome the problem of the faculty crunch. The COVID-19 pandemic has also highlighted the necessity of online education, and blended learning is the way forward for future education.

1.4 The State Government has taken several proactive initiatives to promote online

education, including the establishment of *e-Parks*, *e-Suvidha* and computer labs, the provision of pre-loaded tablets in libraries, and the distribution of tablets and mobile phones to students in higher education, enabling them to access online education from any location. These efforts demonstrate the government's commitment to expanding access to education and empowering students with the necessary tools to succeed in today's digital world.

2. The NEP-2020 highlights

2.1 Recognition, identification, and transfer of credits earned through online courses
2.2 Promoting flexibility for learners to choose various online courses according to their preferences.
2.3 Providing multidisciplinary and holistic education across various disciplines including sciences, social sciences, arts, humanities, and sports, etc.

3. The NEP envisages several transformative initiatives in higher education. Theseinclude:

3.1 A holistic and multidisciplinary undergraduate education model that emphasizes the development of all capacities of human beings, including intellectual, aesthetic, social, physical, emotional, ethical, and moral aspects, in an integrated manner. In addition, the model stresses the importance of soft skills such as critical thinking, creative thinking, communication skills, and complex problem-solving, which are crucial for success in the modern workforce.
3.2 To achieve this goal, the model recommends the adoption of flexible curricular structures, which would enable creative combinations of disciplinary areas for study in multidisciplinary contexts. This approach would allow for flexibility in course options, in addition to rigorous specialization in a subject or subjects.
3.3 The model proposes undergraduate degree programs of either 3 or 4-year duration, with multiple entry and exit points and re-entry options. Students would receive appropriate certifications, such as:
   (a) UG certificate after completing 1 year (2 semesters) of study in the chosen field.
   (b) UG diploma after 2 years (4semesters) of study,
   (c) Bachelor's degree after a 3-year (6 semesters) program of study,
   (d) Four-year bachelor's degree (honors) after eight semesters program of study. If the student completes a rigorous research project in their major area(s) of study in the 4th year of a bachelor's degree (honors with research).
   (e) HEIs to run Three-year (six semesters) bachelor's degree (honors) as per guidelines of U.P government.

3.4. The 4-year bachelor's degree program is considered a preferred option since it would provide the opportunity to experience the full range of holistic and multidisciplinary education in addition to a focus on the chosen major and minors as per the choices of the student.
3.5. The proposed model also includes credit-based courses and projects in the areas of community engagement and service, environmental education, and value-based education.
3.6. The environmental education curriculum would cover critical areas such as climate change, pollution, waste management, sanitation, conservation of biological diversity, management of biological resources and biodiversity, forest and wildlife conservation, and sustainable development and living.
3.7 Value-based education would focus on developing humanistic, ethical, constitutional, and universal human values such as truth, righteous conduct,.

peace, love, nonviolence, scientific temper, citizenship values, and life skills.

3.8 Lessons in service and participation in community service programs would be an integral part of holistic education.

3.9 Global Citizenship Education and education for sustainable development would form an integral part of the curriculum to empower learners to become aware of and understand global and sustainable developmentiss ues and to become active promoters of more peaceful, tolerant, inclusive, secure, and sustainable societies.

3.10. Students would be provided with opportunities for internships with local industry, businesses, artists, crafts persons, etc., as well as research internships with faculty and researchers at their own or other HEIs/research institutions. This approach would enable students to actively engage with the practical side of their learning, further improving their employability.

3.11. It is important to reorient teaching programs to ensure the development of capabilities across a range of disciplines, including sciences, social sciences, arts, humanities, languages, and vocational subjects relating to Languages, Literature, Music, Philosophy, Art, Dance, Theatre, Statistics, Pure and Applied Sciences, Sports, etc. This will help create a multidisciplinary and stimulating learning environment that promotes holistic development among students.

3.12. In addition to traditional subjects, it is also crucial to prepare professionals in cutting-edge areas that are gaining prominence, such as AI, 3-D machining, big data analysis, and machine learning, in addition to genomic studies, biotechnology, nanotechnology, and neurosciences. These areas have important applications to health, environment, and sustainable living and can enhance the employability of the youth.

3.13. The Choice Based Credit System (CBCS) is an effective way to provide flexibility to students to learn based on their interests and take courses cutting across disciplines. Adopting Massive Open Online Courses (MOOCs) also facilitate cross-department course study, thereby increasing the range of subjects available to students.

3.14. Overall, reorienting teaching programs to offer multidisciplinary courses and incorporating cutting-edge areas into undergraduate education will better equip students with the skills they need for a rapidly changing job market and prepare them for the challenges of the future.

4-The new curriculum framework of U.P. is designed to provide students with greater flexibility and choice in their learning. Some of the key features of this framework include:

4.1. The ability to move freely between different disciplines of study, allowing students to explore a range of subjects and pursue their interests.

4.2. The opportunity for learners to choose the courses they want to take in all disciplines, giving them greater control over their education.

4.3 Multiple entry and exit options, including UG certificate, UG diploma, or degree, depending on the number of credits earned, enabling students to customize their educational path.

4.5. Flexibility for learners to move from one institution to another to enable them to have multi and/or interdisciplinary learning through ABC and ABACUS-UP.

4.6 Option to switch between different modes of learning (offline, ODL, and Online learning, and hybrid modes of learning) through ABC and ABACUS-UP

Overall, these features are designed to create a more dynamic and adaptable learning environment that better meets the needs of students and prepares them for the challenges of the future. By giving learners greater flexibility and control over their education, the new curriculum framework of U.P. aims to foster creativity, innovation, and lifelong learning.

5-Massive Open Online Courses (MOOCs)

Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds (SWAYAM: www.swayam.gov.in) is India's national Massive Open Online Course (MOOC) platform, aimed at achieving the three cardinal principles of India's Education Policy: access, equity, and quality. The University Grants Commission (Credit Framework for Online Learning Courses through Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds) Regulations, 2021 have been notified in the Gazette of India. These regulations now enable institutions to offer up to 40% (initially 20% in U.P.) of the total courses offered in a particular semester through online learning courses available on the SWAYAM platform.Universities, with approval from competent authorities, can adopt SWAYAM Courses to benefit their students. Through this platform, students have the option to earn credits by completing quality-assured MOOC programs offered on SWAYAM or other online educational platforms approved by the UGC/regulatory body from time to time.

Furthermore, State Government can encourage the development of MOOC-based courses through public-private partnerships (PPP) for minor, skill, and co-curricular courses under the supervision of a state nodal officer for online education.

These measures aim to increase access to quality education and promote lifelong learning, especially for those who may face barriers to traditional educational systems. By leveraging technology and partnerships, India can bridge the gap in education and help develop a skilled and knowledgeable workforce to meet the demands of the future.

6-Credit transfer of Massive Open Online Courses (MOOCs)

6.1.Calculating Learner Effort in SWAYAM- NPTEL MOOCs and other recognized courses Learner engagement per week is estimated as follows

6.1.1. Minimum effort required:

Table1:Calculation for minimum effort from an online course

Watching videos	3 hours for one time viewing	For better grasp and making notes, which the learner Would normally do, may betaken 4-5 hours also.
Assignment Solving time	1 hour	If the assignment involves problems to be solved or Coding work, the time taken may be 2.5hours
MinimumTotal Effort per week	4 hours	Counting only the video content and assignment time.

One credit is normally defined as the learning unit awarded for 15 hours of learning.

Based on the above,the minimum credits recommended is calculated as

Table2: Recommendation of minimum credits for Online Courses

Week	Hours	Credits recommended
4 week scourse	16	1
8 week scourse	32	2
12 week scourse	48	3
16 week scourse	64	4

As per the state government guidelines a student can earn required credits from multiple online courses. For example, if a student wants to earn 4 credits from an online course/Paper,

(a) Students can accumulate credits from one or more than one online course. He/she can complete 2 courses of 8-week duration or one course of 16-week duration.

(b) If a student earns extra credits, he/she can use the required credits at the time of exit and the balance available in his/her account, can beused forany other course, but within7 years from the date of earning the certificate. For e.g. if a student completes 2 courses of 8 weeks and 12 weeks duration and accumulates 5 credits, he/she can use 4 credits at the time of exit and a balance of 1 credit will be available in his/her account for 7 years.

6.1.2. Possible addition all effort involved:

Table3:Calculation of possible additionall effort from the learners in an online course

Assignments	Additional 1 hour	When assignments are more complex and require Moretime for solving or are subjective assignments
Going through the text documents and additional Reading material	1-2hours	Text transcripts are normally given along with other reference material.
Participationin the discussion forum	1-2hours	Any course has normally any where between5-10 posts every day.Learners are encouraged to try and answer the queries raised by others if they know the answer and actively participate in the discussion.
Total additional engagement possible	1-5 hours per week	Counting other components of the MOOC course such as reading material and forum including additional time for assignment

(a) In view of the above table, an additional 1 credit may be awarded if the HEIs deem it fit, based on the actual student effort involved.

(b) Hence the HEI staking the courses for credit transfer can decide on how they calculate learner engagement and appropriately take the courses for minimum credits recommended or minimum credits+1 as suggested.

6.2. Pass criteria of SWAYAM-NEPTEL MOOCs and other recognized courses

6.2.1. The weekly assignments are all graded out of 100marks.

6.2.2 For the 4/8/12 week courses,normally best 3/6/8 assignments are considered for calculating the Average assignment score (out of 100).

6.2.3. Final score=25% of Average assignment score (out of 100)+75% of proctored certification exam score (out of 100)

6.2.4. Learner is said to be certified in the course and he/she will be eligible for the e-certificate IF

Average assignment score >= 40/100

AND

Proctored certification exam score>=40/100

6.2.5. The cutoff for pass/fails in a course can be decided by the university/college if required, though the actual marks as given by SWAYAM-NPTEL MOOCs is what will always be stored and saved in the SWAYAM- NPTEL MOOCs server

6.3 Exam

Enrolment and learning is free on SWAYAM-NPTEL MOOCs, but the exam is paid. While the enrolment and learning can be with SWAYAM MOOCs,

6.3.1. The final exam can be from SWAYAM-NPTEL MOOCs (other recognized MOOCs as per UGC regulations-2021) and students have to submit an e-certificate.

6.3.2. The college or university themselves can conduct the final exam and award the credits (In this case, SWAYAM- NPTEL MOOCs (other recognized MOOCs as per UGC regulations-2021) and question papers will have to be handled by theUniversity/College themselves based on the content and assignments which will be accessible to them). E-certificate is not required for this.

6.3.3. As per other recognized MOOCs and MOOCs developed under PPP mode

6.4 Exam fees within the existing payment structure

6.4.1. While the course is free to enroll and learn, the fee for the final certification exam is required by SWAYAM, NPTEL MOOCs (other recognized MOOCs as per UGC regulations -2021) for appropriate exam facilities, and invigilation.

6.4.2. Fees structure decided by SWAYAM, NPTEL MOOCs (other recognized MOOCs as per UGC regulations -2021)

6.4.3. A common issue that arises is that students have already paid the fees for the courses of each semester to the institution.

6.4.4. The institute is to pay for the exam completely or at least half the fee, the other half being borne by the student.

6.4.5. The institute can add the exam fee of MOOCs in their fee structure and pay directly to MOOCs providers

6.5 Eligibility for Credit Transfer:

6.5.1. Online courses completed at other institutions will be considered for credit transfer only if they are equivalent in content and rigor to courses offered at our institution.

6.5.2. The online courses must have been completed at an institution recognized by the UGC.

6.5.3. The student must have earned a grade of "C" or higher in the online course to be considered for credit transfer.

6.5.4. Credit transfer will be done as per the rules developed by govt. or govt. recognized agency

6.6 Credit Transfer Process:

6.6.1. Students seeking credit transfer must submit an official transcript from the institution where the online course was completed.

6.6.2. The transcript must include the course name, number, and description, as well as the number of credits earned and the grade received.

6.6.3. The transcript will be evaluated by the appropriate Department/Section of the HEI to determine if the course is equivalent in content and rigor to courses offered at our institution.

6.6.4. The academic department will determine the number of credits that will be transferred for each course.

6.7 Maximum Credit Transfer:

6.7.1. The maximum number of credits that can be transferred from online courses completed at other institutions will be determined by the appropriate academic department as per govt. rules.

6.7.2. The total number of transferred credits cannot exceed the maximum credit transfer limit established by the institution/ govt. rules.

6.7.3. The maximum credit transfer limit may be adjusted based on the student's program of study.

6.8 Mapping of SWAYAM-NEPTEL and other recognized courses for U.P.Students

6.8.1. To improve credit transfer and increase student awareness, universities should map their online courses (Major, Minor, Skill, Co-curricular, Value added etc.) and make the list available on their websites. This will help students easily select the courses they want to take, especially for their major.

6.8.2. It is recommended to approve a generic list of course titles without mentioning the instructor and institute to allow students the flexibility to take similar courses from any institution. Mapping should be done at the course, paper, or program level.

6.8.3. The recommended course or paper titles may not match exactly with those provided by the SWAYAM-NPTEL MOOCs or other recognized MOOCs according to the UGC Regulations 2021. However, the mapping committee has the flexibility to decide which courses should be mapped to meet the curriculum requirements. If the course content overlaps with the curriculum of at least 60%, it can be mapped with the SWAYAM-NPTEL MOOCs or other recognized MOOCs according to the UGC regulations 2021.

6.8.4. The State-level mapping of SWAYAM-NPTEL MOOCs or other recognized MOOCs according to the UGC regulations with the State Common Minimum Syllabus (CMS) should be done under the supervision of the State Syllabus Restructuring Committee-2020.

6.8.5. Credits for courses and papers can be transferred for all buckets, including Major, Minor, Skill, Co-curricular, etc.

6.8.6. The State-mapped list is applicable to all universities and colleges in the State.

6.8.7. Universities can do mapping for other courses that are not mapped by the State-level committee. The mapped list will be sent to the State Committee for uploading on the government website.

6.8.8. A few faculty members in every discipline should review the SWAYAM-NPTEL MOOCs or other recognized MOOCs according to the UGC regulations and shortlist those that are best suited for their students and meet local needs.

6.8.9. Students can complete minor, skill courses from SAWAYAM-NATEL MOOCs (other recognized MOOCs) as per UGC Regulations 2021 without any mapping to ensure multidisciplinary and vocational education, students have to submit e-certificate of the required credits to the University through their college.Universitiesmust include the credits of minor and skill in the transcript of students to complete their course.

6.8.10. Mapping of practical's available on vLab (other portal recognized by Govt.) for practical examination.

7. Recognised online courses for U.P. Students

7.1. SWAYAM MOOCs

7.2. NEPTEL MOOCs, vLab

7.3. Online courses run by Central/Stategovernment/ministries/ departments

7.4. Online courses run by universities as per UGC regulation-2021 dated 25-03-2021.

7.5. International MOOCs as per UGC regulations-2021 dated 25-03-2021.

7.6. Online courses recognized by Higher Education department of U.P.

8. Recommendations by Academic councils

The following guidelines are recommended for universities regarding online courses for approval in their Academic council:

8.1. Universities must comply with the University Grants Commission's (UGC) Regulations for Online Learning Courses through Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds (SWAYAM), dated 25-03-2021.

8.2. To be listed on the SWAYAM-NPTEL portal and accept online credits as per the UGC rules, universities must send a letter to SWAYAM with a copy to the Higher Education Department of Uttar Pradesh (HED, U.P.) and State nodal officer (online education) indicating their adoption of the above regulations.

8.3. State nodal officer (online education) coordinate with the nodal officer (online education) of state universities and SWAYAM-NPTEL, UGC and other MOOCs etc. for smooth running of MOOCs in state HEIs

8.4. According to the UGC guidelines, learners may earn credit courses from SWAYAM MOOCs or other recognized MOOCs as per UGC regulations-2021,up to a maximum of 40% (initially 20% in U.P., subject to increase by state or university).

8.5. Universities must accept the credits of other recognized MOOCs courses, as stated in point 9 of the regulations.

8.6. Students have several options for studying online courses.

8.7.1. Option1:

(a) SWAYAM-NPTEL MOOCs (other recognized MOOCs as per UGC regulations–2021 and point-9) is defining domain certifications within each discipline where a certain number of alliedcourses are grouped together to form adomainorareaofspecialization. Each domain comprises 3- 4 core courses that are compulsory and 2-3 elective courses tobe taken from the options given. The students need to complete these domain courses within 3 years from their first exam registration to complete a domain certification. The set of 5-7 courses taken will give the student a strong foundation and understanding of the area and might make students more job-ready or better prepared to pursue higher education and research.

(b) These domains (set of courses) can be recommended and approved by the Academic council (as per the mapped list) so that students can starttaking these courses from the first/second year and comfortably complete it by the time they graduate.

(c) The domain may be entered into the transcript as such and given additional credits. It is suggested that this not be made mandatory for all students but for only those who want specializations (like a Minor) along with their regular degree.

8.7.2. Option2:

(a) Universities can suggest that students who accrue 20 credits from domain-specific SWAYAM-NPTEL MOOCs (other recognized MOOCs as per UGC regulations - 2021) in addition to their regular coursework will be awarded BA/BSc/BCom etc.with Honors degree. Students have to take the courses and give exams and show the certificates obtained.

(b) This would enable the more dedicated group of students in each program to pursue these additional credits while taking regular courses offered by the college. The academic council can define the 20 credits as completing one of the domains or defining a set of courses, which would really help the student.

8.7.3. Option3:

(a) All students should be encouraged to take at least 1 or 2 courses online with SWAYAM-NPTEL MOOCs (other recognized MOOCs as per UGC regulations–2021 and point-9) every year to develop the habit of self-study online. However, this should be under the minor/skill/co-curricular category so that it does not hamper their graduation in case they do not do well in the course.

(b) The courses taken by the students can be a minor or skill not offered by the Department/college-so that theycan leverage the online course initiative completely-which is to facilitate opportunities in areas of learning for which faculty are not locally available.

8.7.4. Option4:

Students now have the option to enroll in SWAYAM-NPTEL MOOCs (and other recognized MOOCs as per UGC regulations–2021 and point-9) that are aligned with courses offered on-campus. By completing assignments and exams within these MOOCs, students can earn partial credits towards their in-campus course, rather than receiving full credits solely from the MOOC. This allows for a more flexible and integrated approach to learning, utilizing the benefits of online education while still maintaining the academic rigor of in-campus courses.

8.7.5. Option5:

(a) Universities can promote blended learning by identifying some courses available on SWAYAM-NPTEL MOOCs (other recognized MOOCs as per UGC regulations–2021 and point-9) for the students. Students can enroll and complete the course online, but exams would be conducted offline by the university with regular exams. In this case, learning is online, and the exam is offline.

(b) Credit mapping as per point 6.8

(c) All the courses mapped by the state committee and university committee are eligible for credit transfer.

(d) Enrolment and learning are free on SWAYAM-NPTEL MOOCs. So universities can allow students to learn from the online portal, but they have to give exam in university system.

9. *Local Chapters of NPTEL*

9.1. NPTEL has established partnerships with universities and colleges to deliver online courses to their students in an organized manner. There is no cost involved for the University/colleges, and the only requirement is to designate a Single Point of Contact (SPOC) who will act as the interface between the University/college and NPTEL. The SPOC will facilitate the delivery of the online courses to the University Departments/college students.

9.2. The SPOC gets direct access to

(a) Enrolment in formation course wise

(b) Exam registration details

(c) Hall tickets of learners from their college

(d) Assignment and exam marks of candidates from their University/college

(e) E-certificates

(f) The above information is directly shared from NPTEL with the SPOC through their login and can be used towards crediting the courses as per the decided norms.

9.3. In addition to the above, the SPOC can nominate a mentor faculty from the college to help students better understand the course content. Both the mentor and mentee student need to be enrolled in the course, and the students have to select the mentor from the online course portal. The mentor will be able to see the progress of the student in real-time and can blend face-to-face instruction to supplement the online learning. The SPOC and mentors for specific courses can also facilitate learning by arranging for computer time, internet facility, and providing help in understanding the content better.

9.4. To facilitate better and more effective credit transfer, universities are advised to encourage their affiliated colleges to become Local Chapters with NPTEL.

10. Digital Nodal centers and Nodal officer (online Education)-

All HEIs have to established *"Digital Nodal Centre"* and appoint a *"Nodal officer (Online Education)"* to

10.1. State Nodal officer (online education) coordinate with Agencies, Central Govt, State Govt, UGC and Universities of state, University Nodal officer (online education) coordinate with colleges and campus faculty and students, College Nodal officer (online education) coordinate with students and faculty of college.

10.2. Promote online education

10.3. Create awareness among students and faculty for online course and credit transfer

10.4. Provide information related to online courses and credit transfer

10.5. Coordinate with SWAYAM-NPTEL MOOCs (other recognized MOOCs as per UGC regulations-2021 and point-9) vLab etc. for online courses.

11. Appeal Process:

11.1 Students may appeal the decision of the HEI regarding credit transfer.

11.2 Appeals must be submitted in writing to the appropriate department of HEI within 30 days of the decision.

11.3 The appeal will be reviewed by a committee appointed by the HEI.

12. Conclusion:

The HEI recognizes the value of online courses completed at other institutions and provides a fair and efficient process for the transfer of credits earned through online courses. The guidelines outlined in this policy aim to ensure that the transfer process is consistent, transparent and equitable for all students.

महत्वपूर्ण

संख्या–2787 /सत्तर–3–2024

प्रेषक,

शिपू गिरि,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
3. अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, लखनऊ ।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 16 नवम्बर, 2024

विषय : भारत सरकार द्वारा विकसित SWAYAM (Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds) पोर्टल पर उपलब्ध पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा विकसित SWAYAM (Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds) पोर्टल, जिसका उद्देश्य देश के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना है, को वढ़ावा देने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0) द्वारा यू0जी0सी0 (क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज थ्रू SWAYAM) विनियम–2021 अधिसूचित किया गया है। स्वयं प्लेटफार्म को अपनाने, इसके प्रति जागरूकता व सहयोग को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश में आई0आई0टी0, कानपुर को नोडल संस्थान के रूप में नियुक्त किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 14.11.2024 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सम्पन्न वर्चुअल बैठक के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में निम्नवत् कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या/अपेक्षित सूचना शासन को प्रत्येक दशा में **02 दिन के भीतर** उपलब्ध कराने का कष्ट करें :–

(1) विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में पंजीकृत कुल विद्यार्थियों के सापेक्ष अद्यतन कितने विद्यार्थियों द्वारा भारत सरकार के SWAYAM (Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds) पोर्टल पर उपलब्ध विभिन्न पाठ्यक्रमों का अध्ययन किया गया है अथवा किया जा रहा है ?

(2) विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के मध्य SWAYAM प्लेटफार्म को अपनाने व इसके प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिये सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कार्यशालाओं का आयोजन कराया जाय।

(3) उच्च शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, लखनऊ, समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में SWAYAM पोर्टल के क्रियान्वयन हेतु एक नोडल अधिकारी नामित करते हुये नामित नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर एवं ई–मेल का विवरण शासन को 02 दिन के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(शिप्रा गिरि)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– कुलपति, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

2– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

3– निजी सचिव, समस्त विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

4– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

5– प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा, कु0 मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।

आज्ञा से,

(एस0पी0 मिश्र)
उप सचिव।

E-mail : upshec@gmail.com,
Website : www.uphed.gov.in/council

Phone : 0522-2287025
0522-4306795

उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्

619, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ – 226001

पत्रांक : 679/रा0उ0शि0प0/53/19T.C
दिनांक : 05-12-2024

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

विषयः राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 एवं SWAYAM पाठ्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–3095/सत्तर–3–2024 दिनांक 03 दिसम्बर, 2024 (प्रतिसंलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस संबंध में अवगत कराना है कि दिनांक 28.11.2024 को प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न वर्चुअल बैठक के क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 एवं SWAYAM पाठ्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संलग्न पत्र में बिन्दुवार निम्नवत् कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन की ई–मेल आई0डी0 hesection.3@gmail.com पर प्रेषित करते हुए उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद की ई–मेल आई0डी0 upshec@gmail.com पर भी शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय
डॉ0(दिनेश कुमार)
अपर सचिव

पत्रांक : 679/रा0उ0शि0प0/53/19T.तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन/सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद को प्रमुख सचिव महोदय के अवगतार्थ।
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन।

डॉ0(दिनेश कुमार)
अपर सचिव

सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या- 3095 /सत्तर-3-2024

प्रेषक,

शिपू गिरि,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
3. अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक : 03 ~~नवम्बर~~ दिसम्बर, 2024

विषयः राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 एवं SWAYAM पाठ्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक दिनांक 28.11.2024 को प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न वर्चुअल बैठक के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 एवं SWAYAM पाठ्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बिन्दुवार निम्नवत् कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें :-

SWAYAM पाठ्यक्रम

1. (क) उच्च शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, प्रयागराज, (ख) उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, (ग) समस्त विश्वविद्यालयों एवं (घ) समस्त महाविद्यालयों में SWAYAM पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए नोडल अधिकारी नामित किये जायें।
2. सभी विश्वविद्यालय अपने क्षेत्राधीन आने वाले समस्त महाविद्यालयों के सभी विद्यार्थियों को SWAYAM पोर्टल पर ऑनबोर्ड करने हेतु प्रक्रियावार समय सारणी के साथ एक विस्तृत आदेश निर्गत कर लें।
3. सभी विश्वविद्यालय अपने क्षेत्राधीन आने वाले समस्त महाविद्यालयों के साथ SWAYAM पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय स्तर पर एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन कर लें तथा ओरिएंटेशन की तिथि से उच्च शिक्षा निदेशालय, उच्च शिक्षा परिषद एवं शासन को शीघ्र अवगत करायें।
4. सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत/नव प्रवेशित विद्यार्थियों को सूचित कर दिया जाय कि SWAYAM कोर्सेज के माध्यम से उनके द्वारा अर्जित किये गये क्रेडिट उनकी डिग्री में जुड़ने के लिये मान्य होंगे।
5. समस्त विश्वविद्यालय अनिवार्य रूप से अपनी वेबसाइट पर SWAYAM कोर्सेज का लिंक एवं इनके क्रेडिट्स को किस प्रकार डिग्री से जोड़ा जा सकता है, के सम्बन्ध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) उपलब्ध करायें।
6. सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के स्तर पर माह में दो बार स्वयं कोर्सेज में विद्यार्थियों की प्रगति की समीक्षा हेतु बैठक करायी जाये।

ABC आई0डी0

1. विश्वविद्यालयों एवं उनके क्षेत्रान्तर्गत आने वाले समस्त महाविद्यालयों में अध्ययनरत/नव प्रवेशित सभी विद्यार्थियों की ABC आई0डी0 क्रिएट करायी जाय।
2. विद्यार्थियों की क्रेडिट इनफॉरमेशन उनकी ABC/APAAR आई0डी0 के साथ अपलोड/मैप की जाए।
3. (क) उच्च शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, प्रयागराज, (ख) उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, (ग) समस्त विश्वविद्यालयों एवं (घ) समस्त महाविद्यालयों में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ABC) से सम्बन्धित कार्य के लिए एक-एक नोडल अधिकारी नामित किये जायें।
4. सभी विश्वविद्यालय अपने क्षेत्राधीन आने वाले समस्त महाविद्यालयों के साथ ABC/APAAR आई0डी0 के सम्बन्ध में सभी विद्यार्थियों के मध्य जागरूकता कार्यक्रमों/कार्यशालाओं का आयोजन करायें।
5. सचिव, यूजीसी के पत्र संख्या-F.1-50/2021(ABC/NAD) दिनांक 21.11.2024 (छायाप्रति संलग्न) में की गयी अपेक्षानुसार सभी उच्च शिक्षण संस्थानों (विश्वविद्यालयों/स्वायत्त महाविद्यालयों/स्वायत्त संस्थानों) को शैक्षणिक वर्ष 2021, 2022, 2023 (कट ऑफ डेट 31 दिसंबर, 2024) एवं शैक्षणिक वर्ष 2024 (कट ऑफ डेट जून, 2025) से संबंधित एबीसी आईडी सैण्ड विद्यार्थियों के क्रेडिट डाटा को उक्त समय सीमा के भीतर अपलोड करना अनिवार्य है। सभी विश्वविद्यालय समयबद्ध रूप से उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करायें।

मल्टीपल एन्ट्री एवं मल्टीपल एग्जिट

1. सभी विश्वविद्यालय मल्टीपल एन्ट्री एवं मल्टीपल एग्जिट के सम्बन्ध में विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित कर अपने सक्षम निकायों/प्राधिकारी से पास करा लें।
2. मल्टीपल एन्ट्री एवं मल्टीपल एग्जिट के लिये आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान की जाए।
3. उक्त सुविधा का लाभ उठाने के लिये विद्यार्थियों के मध्य मल्टीपल एन्ट्री एवं मल्टीपल एग्जिट का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय।
4. समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में मल्टीपल एन्ट्री एवं मल्टीपल एग्जिट से सम्बन्धित कार्य के लिए एक-एक नोडल अधिकारी नामित किये जायें।

FYUP

1. सभी विश्वविद्यालय यू0जी0सी0 द्वारा जारी करिकुलम एवं क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर Four Year Undergraduate Programme के अनुरूप शासन के पत्र दिनांक 02.09.2024 द्वारा निर्गत प्रदेश की FYUP नीति को अपने सक्षम निकायों/प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर शीघ्र लागू करना सुनिश्चित करें।

2. सभी विश्वविद्यालय FYUP के अन्तर्गत संचालित किये जाने वाले कोर्सेज को शीघ्र आईडेन्टीफाई करते हुए इन कोर्सेज का संचालन विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में कराना सुनिश्चित करें।
3. जो महाविद्यालय FYUP के अन्तर्गत संचालित किये जाने वाले कोर्सेज शुरू करना चाहते हैं, उन्हें उन कोर्सेज के लिये नियमानुसार सम्बद्धता दे दी जाय।
4. समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में FYUP के अन्तर्गत संचालित किये जाने वाले कोर्सेज से सम्बन्धित कार्य के लिए एक-एक नोडल अधिकारी नामित किये जायें।

NIRF रैंकिंग/NAAC प्रत्यायन

1. सभी विश्वविद्यालयों में गठित आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (IQAC) की नियमित रूप से बैठक करायी जायें।
2. चूंकि NIRF रैंकिंग में प्रतिभाग नि:शुल्क है। अत: सभी राजकीय, अनुदानित व स्ववित्तपोषित महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय NIRF रैंकिंग में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी राजकीय महाविद्यालय नैक प्रत्यायन हेतु आवेदन अवश्य करें।
4. (क) उच्च शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, प्रयागराज, (ख) उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, (ग) समस्त विश्वविद्यालयों एवं (घ) समस्त महाविद्यालयों में NIRF रैंकिंग/NAAC प्रत्यायन से सम्बन्धित कार्य के लिए एक-एक नोडल अधिकारी नामित किये जायें।

इन्डस्ट्री-इंस्टीट्यूट लिंकेज

1. समस्त विश्वविद्यालय अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले जनपदों के जिलाधिकारियों के माध्यम से जिला उद्योग बन्धु के समन्वय से स्थानीय उद्योगों में विद्यार्थियों के इन्टर्नशिप/रोजगार प्राप्त करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करायें।
2. समस्त विश्वविद्यालय अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित सार्वजनिक उद्यमों (PSUs) से भी समन्वय स्थापित कर प्रश्नगत बिन्दु पर आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स

1. विदेश से आने वाले विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान हेतु सभी विश्वविद्यालयों में वन-स्टाप-आफिस गठित किये जायें तथा एक नोडल भी नामित कर लिया जाय।
2. सभी विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रीय छात्रों को जानकारी एवं सुविधा प्रदान करने के लिए अपनी वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध करायें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(शिपू गिरि)
Signed by Sipu Giri
Date: 02-12-2024 14:13:17
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- कुलपति समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।

2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- निजी सचिव, समस्त विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0।

4- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

5- प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा, कु0 मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।

7- डॉ0 संजय दिवाकर, उप निदेशक (तकनीकी), रूसा, लखनऊ।

आज्ञा से,

/

(शिपू गिरि)

विशेष सचिव।

3095

सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)
बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Ph.: 011-23236288/23239337
Fax: 011-2323 8858
E-mail : secy.ugc@nic.in

सचिव

Secretary

D.O. No. F.1-50/2021(ABC/NAD) **November 21, 2024/ 30 कार्तिक, 1946**

महोदया / महोदय,

The NEP 2020 envisions moving towards a higher educational system consisting of large, multidisciplinary universities and colleges and aims to create imaginative and flexible curricular structures promoting a credit-based system that encourages flexible, integrated, and multidisciplinary education thus, removing currently prevalent rigid boundaries and creating new possibilities for life-long learning offering multiple entry and exit points.

To ensure the realization of the vision of NEP 2020, the role of Academic Institutions is critical by ensuring timely upload of credits to the APAAR credit repository and mapping them with the students' APAAR IDs. This is essential to facilitate the redemption and transfer of credits. Based on the Ministry of Education's D.O. letter No.F.16-5/2020-TEL dated 29.07.2024, HEIs were informed vide UGC D.O. letter No.F.1-50/2021 (ABC/NAD) dated 07.08.2024 **that the last date for uploading of credit data on the ABC portal for academic year 2021, 2022 and 2023 is 31st December, 2024; post which the HEIs shall not be allowed to deposit credits on the ABC eco-system.**

Now, as per the Ministry of Education's D.O. letter No.F.16-5/2020-TEL-Part (4) dated 07.11.2024, to further streamline the process of data capture for APAAR, it has been **decided that for the examinations/assessment conducted in any month of 2024, the credit information shall be uploaded/mapped with student APAAR IDs by June, 2025.** The said data will be freezed and no further modifications will be allowed after the above timeline.

In view of the above, all the HEIs (Universities/Autonomous Colleges/Stand-alone Institutions) are instructed to prioritize the data upload to meet the deadlines and complete upload of ABC ID mapped credit data relating to the Academic Year **2021, 2022, 2023, (Cut off date 31st December, 2024) and 2024 (Cut off date June, 2025)**. Further, all HEIs are required to review the current status and upload credit information, post completion of assessments and declaration of results, immediately & within above timelines.

CONTINUATION SHEET

You are requested to review the current status of your institution and ensure uploading of credit data within the above timelines.

For any assistance, you may contact the following officers:

I. Dr. Amit Kumar Verma, Education Officer, UGC, (akverma.ugc@nic.in, 011-23604205) and (support-nad@gov.in, abc-bureau@ugc.gov.in, 011-23604427)

II. Sh. Gaurav Khare, Business Development Manager, National e-Governance Division (gaurav.khare1@digitalindia.gov.in, Mob: +91 98910 81761)

सादर,

भवदीय,

(सुदीप सिंह जैन)

To

All VCs of Universities / Directors/ Principals of Autonomous Colleges

सचिव

Secretary

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
[illegible]
[illegible]
बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Ph.: 011-23236288/23239337
Fax : 011-2323 8858
E-mail : secy.ugc@nic.in

F. No.1-50/2021(ABC/NAD) **November 21, 2024/ 30 कार्तिक, 1946**

सार्वजनिक सूचना

The NEP 2020 envisions moving towards a higher educational system consisting of large, multidisciplinary universities and colleges and aims to create imaginative and flexible curricular structures promoting a credit-based system that encourages flexible, integrated and multidisciplinary education thus, creating new possibilities for life-long learning offering multiple entry and exit points.

Accordingly, an Academic Bank of Credits (ABC) has been established which digitally stores the academic credits earned from various recognized Higher Educational Institutions (HEIs) so that the degrees from an HEI can be awarded considering credits earned. The role of Academic Institutions is critical by ensuring timely upload of credits to the APAAR credit repository and depositing them in the students' APAAR accounts. This is essential to facilitate the redemption and transfer of credits.

Based on the Ministry of Education's D.O. letter No.F.16-5/2020-TEL dated 29.07.2024, HEIs were informed vide UGC D.O. letter No.F.1-50/2021 (ABC/NAD) dated 07.08.2024 **that the last date for uploading of credit data on the ABC portal for academic year 2021, 2022 and 2023 is 31st December, 2024; post which the HEIs shall not be allowed to deposit credits on the ABC eco-system.**

Now, as per the Ministry of Education's D.O. letter No.F.16-5/2020-TEL-Part (4) dated 07.11.2024, to further streamline the process of data capture for APAAR, it has been **decided that for the examinations/assessment conducted in any month of 2024, the credit information shall be uploaded/mapped with student APAAR IDs by June, 2025**. The said data will be freezed and no further modifications will be allowed after the above timeline.

In view of the above, all the HEIs (Universities/Autonomous Colleges/Stand-alone Institutions) are instructed to prioritize the data upload to meet the deadlines and complete upload of ABC ID mapped credit data relating to the Academic Year **2021, 2022, 2023, (Cut off date 31st December, 2024) and 2024 (Cut off date June, 2025)**. Further, all HEIs are required to review the current status and upload credit information, post completion of assessments and declaration of results, immediately & within above timelines.

(सुदीप सिंह जैन)

To

All VCs of Universities / Directors/ Principals of Autonomous Colleges.